

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973¹

[राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, 1973]

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 द्वारा परिष्कारों सहित पुनःअधिनियमित

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 21, 1975

उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 1977

उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1978

उ० प्र० अधिनियम सं० 15, 1980

उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 1982

उ० प्र० अधिनियम सं० 25, 1982

उ० प्र० अधिनियम सं० 04, 1983

उ० प्र० अधिनियम सं० 06, 1983

उ० प्र० अधिनियम सं० 18, 1984

उ० प्र० अधिनियम सं० 09, 1985

उ० प्र० अधिनियम सं० 15, 1986

उ० प्र० अधिनियम सं० 19, 1987

उ० प्र० अधिनियम सं० 09, 1988

उ० प्र० अधिनियम सं० 26, 1989

उ० प्र० अधिनियम सं० 01, 1992

उ० प्र० अधिनियम सं० 05, 1994

उ० प्र० अधिनियम सं० 20, 1994

उ० प्र० अधिनियम सं० 04, 1995

उ० प्र० अधिनियम सं० 14, 1995

उ० प्र० अधिनियम सं० 04, 1996

उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1997

उ० प्र० अधिनियम सं० 18, 1997

उ० प्र० अधिनियम सं० 09, 1998

उ० प्र० अधिनियम सं० 11, 1999

उ० प्र० अधिनियम सं० 20, 1999

उ० प्र० अधिनियम सं० 21, 1999

उ० प्र० अधिनियम सं० 01, 2004

उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 2004

उ० प्र० अधिनियम सं० 28, 2006

उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 2007

उ० प्र० अधिनियम सं० 26, 2007

उ० प्र० अधिनियम सं० 06, 2009

उ० प्र० अधिनियम सं० 11, 2010

1. उद्देश्यों और कारणों के लिए उ० प्र० असाधारण गजट दिनांक 2 सितम्बर, 1973, पृष्ठ 37 देखें ।

- उ० प्र० अधिनियम सं० 06, 2011
उ० प्र० अधिनियम सं० 05, 2013
उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2013
उ० प्र० अधिनियम सं० 02, 2014
उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 2016
उ० प्र० अधिनियम सं० 14, 2014
उ० प्र० अधिनियम सं० 19, 2016
उ० प्र० अधिनियम सं० 01, 2018
उ० प्र० अधिनियम सं० 42, 2018
उ० प्र० अधिनियम सं० 06, 2019
उ० प्र० अधिनियम सं० 11, 2019
उ० प्र० अधिनियम सं० 20, 2019
उ० प्र० अधिनियम सं० 08, 2020
उ० प्र० अधिनियम सं० 29, 2020
उ० प्र० अधिनियम सं० 19, 2021
उ० प्र० अधिनियम सं० 06, 2022
उ० प्र० अधिनियम सं० 21, 2023
उ० प्र० अधिनियम सं० 10, 2024

द्वारा संशोधित

कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधि का संशोधन और समेकन करने के लिए

अधिनियम

1[निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-]

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 है ।

संक्षिप्त नाम
प्रारम्भ और लागू
होगा

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और वर्तमान विभिन्न विद्यमान विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायगा कि वह उस तारीख के प्रति निर्देश है जिसको यह अधिनियम उस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रवृत्त हुआ है ।

(3) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (जिसका नाम उक्त विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय होगा), की इस अधिनियम के लागू होने में राज्य सरकार 2[समय-समय पर] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों में ऐसे अपवाद या उपान्तर, जो सारतः प्रभाव न डालते हों, कर सकेंगी जो परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो ।

(4) (क) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो जाने के पश्चात् काशी विद्यापीठ को इस अधिनियम के लागू होने में राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों में ऐसे अपवाद या उपान्तर, जो सारतः प्रभाव न डालते हों, कर सकेंगी, जो परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हों ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 3 द्वारा रखे गये ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 2 द्वारा बढ़ाये गये ।

2-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) "विद्या परिषद्", "सभा" और "कार्य-परिषद्" से विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्या परिषद्, सभा और कार्य परिषद् अभिप्रेत है ;

(2) 1["संबद्ध महाविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम और विश्वविद्यालय की परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसी संस्था से है, जो चिकित्सा तथा समवर्ती विज्ञानों से सम्बन्धित न हो ;]

(3) "विश्वविद्यालय का क्षेत्र" से विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, यथास्थिति, धारा 5 या धारा 4 द्वारा या के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(4) "सहयुक्त महाविद्यालय" से कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो और 2[इस अधिनियम तथा विश्वविद्यालयके परिनियमों] के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय की उपाधि ग्रहण करने के निमित्त आवश्यक शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिये प्राधिकृत हो ;

(5) "स्वायत्त महाविद्यालय" से कोई ऐसा संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अभिप्रेत है, जो धारा 42 के उपबन्धों के अनुसार ऐसा घोषित किया जाय ;

3[(5-क) पद "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य वही होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 में है ;]

4[(5-ख) "केन्द्रीय अध्ययन परिषद्" धारा 18ख में विशिष्ट केन्द्रीय अध्ययन परिषद् से अभिप्रेत है ।]

(6) "घटक महाविद्यालय" से कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा घोषित हो और परिनियमों द्वारा इस प्रकार नामांकित हो ;

5[(6-क) "समन्वय परिषद्" धारा 18-क के अधीन गठित समन्वय परिषद् से अभिप्रेत है ।]

(7) "निदेशक" से किसी संस्थान के सम्बन्ध में उस संस्थान का प्रदान अभिप्रेत है ;

(8) "विद्यमान विश्वविद्यालय" से लखनऊ विश्वविद्यालय, * [x x x], आगरा, 5[जो 24 सितम्बर, 1995 से 6[डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय], आगरा के नाम से जाना जायेगा], गोरखपुर 7[जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के नाम से जाना जायेगा], कानपुर 8 [जिसे 24 सितम्बर, 1995 से श्री शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने के दिनांक से छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम से जाना जायेगा]

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 42, 2018 की अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 1994 की धारा 2 (क) द्वारा बढ़ाया गया ।

4. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 4, 1996 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

5. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 4, 1996 की धारा 2 (ग) द्वारा बढ़ाया गया ।

*. शब्द "इलाहाबाद" केन्द्रीय अधिनियम 26, 2005 द्वारा निकाला गया। अब इस सम्बन्ध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (26, 2005) देखें ।

6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 1997 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

8. उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1997 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

अथवा मेरठ 1[जिसे 17 जनवरी, 1994 से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के नाम से जाना जायेगा] अथवा जैसा विषय हो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है;

(9) "संकाय" से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है ;

2[9(क) "आधार पाठ्यक्रम" किसी व्यक्ति की स्वयं के एवं सामाजिक, सांस्कृतिक सांस्कृतिक तथा प्रकृतिक वातावरण के प्रति और अधिक जागरूकता में अभिप्रेत है।]

(10) "विश्वविद्यालय का छात्र निवास (या महाविद्यालय)" से छात्रों के निवास की ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हो और जिसमें पाठन तथा अन्य अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था हो ;

(11) "विश्वविद्यालय का छात्रावास" से छात्र निवास से भिन्न छात्रों के निवास की ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हो तथा "संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का छात्रावास" से उस महाविद्यालय के छात्रों के निवास की इकाई अभिप्रेत है ;

(12) "संस्थान" से धारा 44 के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कोई संस्थान अभिप्रेत है ;

(13) किसी संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्रबन्धतन्त्र" से ऐसी प्रबंध समिति या अन्य निकाय अभिप्रेत है जिस पर उस महाविद्यालय के कार्य-कलाप के प्रबंध का भार है और जो विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त हो ;

3[परन्तु किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगर महापालिका द्वारा पोषित किसी ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में, पद "प्रबन्ध तंत्र के अध्यक्ष" का तात्पर्य, यथास्थिति, ऐसे बोर्ड या महापालिका की शिक्षा समिति से है, और पद "प्रबन्ध तंत्र के अध्यक्ष" का तात्पर्य ऐसी समिति के अध्यक्ष से है।]

(14) "विहित" से परिणियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(15) "प्राचार्य" से किसी संबद्ध सहयुक्त या घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में ऐसे महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है ;

(16) "रजिस्ट्रीकृत स्नातक" से इस अधिनियम या इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिती के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत विश्वविद्यालय का कोई स्नातक अभिप्रेत है ;

(17) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से क्रमशः विश्वविद्यालय के परिणियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत है ;

4 [(18) "स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम" से ऐसा पाठ्यक्रम अभिप्रेत है जिसके सम्बन्ध में सभी वित्तीय दायित्वों का वहन सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र या विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा ;]

5[(19) अध्याय ग्यारह-क के सिवाय इस अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में "अध्यापक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किसी विषय या

-
1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1994 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
 2. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 4, 1996 की धारा 2(घ) द्वारा बढ़ाया गया।
 3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1978 की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट।
 4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 01, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 5. उपरोक्तानुसार।

पाठ्यक्रम में शिक्षण के लिए या अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए विश्वविद्यालय या उसके किसी संस्थान या घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में नियोजित हो और इसके अनतर्गत प्राचार्य या निदेशक भी है ।]

(20) "विश्वविद्यालय" से कोई विद्यमान विश्वविद्यालय या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् धारा 4 के अधीन स्थापित कोई नया विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ;

(21) "श्रमजीवी-महाविद्यालय" से धारा 43 के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में मान्यता प्राप्त सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय

3-(1) किसी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति, कुलपति से तथा कार्य-परिषद्, सभा और विद्या परिषद् के सदस्यों के रूप में तत्समय पद धारण करने वाले व्यक्तियों से मिलकर-एक निगमित निकाय-उस विश्वविद्यालय के नाम से गठित होगा ।

विश्वविद्यालयों
का निगमन

(2) प्रत्येक विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा अपने नाम से वह वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जायेगा ।

4-(1) 1[* * * *]

2[(1-क) ऐसी तारीख या तारीखों से जिसे या जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे,

नए विश्वविद्यालयों
की स्थापना और
विश्वविद्यालयों के
क्षेत्रों अथवा नामों
में परिवर्तन

(क) झांसी में बुन्देलखंड विश्वविद्यालय ;

(ख) 3[अयोध्या] में अवध विश्वविद्यालय; 4[जिसे 18 जून, 1994 से डा0 राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय (अयोध्या)] के नाम से और 11 जुलाई, 1995 से डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, (अयोध्या) नाम से जाना जायेगा] 5[* * *]

*]

(ग) बरेली में रुहेलखंड विश्वविद्यालय 6[जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक से महात्मा ज्योतिबा फुले, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली कहा जायेगा] ;

अनुसूची में क्रमशः विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये स्थापित किये जायेंगे ।

7[(घ) जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ के दिनांक से "बीर वहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर" कहा जायेगा ।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 2014 की धारा 3 द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 06, 2019 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 04, 1996 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1987 की धारा 2 द्वारा निकाला गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 1997 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1999 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

1[(ड) एक विश्वविद्यालय, जिसे 2[ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ] कहा जाएगा।

3[(च) एक विश्वविद्यालय, जिसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के रूप में जाना जायेगा ;

(छ) एक विश्वविद्यालय जिसे 4 [प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज] के रूप में जाना जायेगा ;]

(ज) एक विश्वविद्यालय जिसे जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के रूप में जाना जायेगा ;

5[(झ) एक विश्वविद्यालय, जिसे 6[माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर] के रूप में जाना जायेगा] ;

(ञ) एक विश्वविद्यालय, जिसे 7[महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़] के रूप में जाना जायेगा ;

8[(ट) एक विश्वविद्यालय, जिसे राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के रूप में जाना जायेगा ;]

9[(ठ) एक विश्वविद्यालय, जिसे माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर के रूप में जाना जायेगा ;]

(ड) एक विश्वविद्यालय, जिसे 10[माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर] के नाम से जाना जायेगा ;

(ढ) एक विश्वविद्यालय जिसे 11 [गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद] के नाम से जाना जायेगा] ;

(1-ख) उपधारा (1-क) के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में –

(क) राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के (कुलाधिपति से भिन्न) अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और ऐसे विश्वविद्यालयों के लिये ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन करेगी ;

1[(ख) खंड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य, सदस्य, 2[x x x] तक या खन्ड (ग) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक जो भी पहले हो, पदधारण करेंगे ;]

-
1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, 2010 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
 2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 08, 2020 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
 3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2013 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
 4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 06, 2019 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
 5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 06, 2019 की धारा 2(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।
 6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 2021 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
 7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
 8. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
 9. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 2(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
 10. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 2(घ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
 11. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 2(ड) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3 [परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ा सकती है ;]

4[(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खंड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके]]

(2) वाराणसी में काशी विद्यापीठ नामक संस्था को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय उस तारीख से समझा जायगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे। 5[जिसे 1 जुलाई, 1995 से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के नाम से जाना जायेगा]]

(3) उपधारा (2) के अधीन नियत तारीख से—

(i) काशी विद्यापीठ, वाराणसी नामक सोसाइटी विघटित हो जायगी, और सोसाइटी की सभी जंगम और स्थावर संपत्ति ओर अधिकार, शक्तियां तथा विशेषाधिकार विश्वविद्यालय को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगे, और उनका प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिये किया जायगा जिनके लिये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है ;

(ii) उक्त सोसाइटी के सभी ऋण, दायित्व तथा बाध्यतायें विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायेंगे और तत्पश्चात् उसके द्वारा उन्मोचित तथा तुष्ट किये जायेंगे ;

(iii) किसी अधिनियमित में उक्त सोसाइटी के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायगा, मानों वे विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश हों ;

(iv) किसी बिल, विलेख या अन्य दस्तावेज का चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् तैयार या निष्पादित किया गया हो और जिसमें उक्त सोसाइटी के पक्ष में कोई वसीयत, दान या न्यास हो, ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों उसमें ऐसी सोसाइटी के स्थान पर विश्वविशलय का नाम हो ;

(v) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त तारीख के ठीक पूर्व उक्त सोसाइटी में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति उक्त तारीख से उसी अवधि के लिये और सेवा की उन्हीं शर्तों अथवा तत्सदृश शर्तों पर, जो परिवर्तित परिस्थितियों में अनुज्ञेय हों, विश्वविद्यालय का उसी प्रकार कर्मचारी हो जायगा, जिस प्रकार वह ऐसी अधिसूचना जारी न किये जाने पर उक्त सोसाइटी के अन्तर्गत होता ।

(4) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

-
1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1978 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 1987 की धारा 2 द्वारा निकाला गया ।
 3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
 4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 6 द्वारा बढ़ाई गई ।
 5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1996 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

- (क) किसी विश्वविद्यालय का क्षेत्र बढ़ा सकेगी ;
(ख) किसी विश्वविद्यालय का क्षेत्र कम कर सकेगी ; या
(ग) किसी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर सकेगी ;

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना सिवाय राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के पूर्वानुमोदित संकल्प के बिना जारी नहीं की जायगी ।

(5) इस धारा के अधीन किसी अधिसूचना में अनुसूची और ऐसी अधिसूचना से प्रभावित होने वाले विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का संशोधन करने के लिये ऐसे उपबन्ध हो सकेंगे जो अधिसूचना के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों और तत्पश्चात् अनुसूची तथा परिनियम, अध्यादेश और विनियम तदनुसार संशोधित हो जायेंगे ।

(6) उपधारा (5) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन किसी अधिसूचना में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) उक्त अधिसूचना से प्रभावित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों में विभिन्न हितों अथवा वर्गों के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित उपबन्ध ;

(ख) तत्समय विद्यमान किसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा उसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातक बने रहने अथवा किसी नये स्थापित विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रीकृत कराने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उपबन्ध, किन्तु कोई व्यक्ति एक से अधिक विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रीकृत स्नातक नहीं होगा ;

(ग) ऐसे अन्य अनुपूरक आनुषांगिक तथा पारिणामिक उपबन्ध जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 5 के प्रयोजनों के लिए “काशी विद्यापीठ” से वाराणसी में काशी विद्यापीठ नामक संस्था अभिप्रेत है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत काशी-विद्यापीठ नामक सोसाइटी द्वारा स्थापित और प्रशासित है, जिसके सम्बन्ध में उक्त सोसाइटी की निरीक्षक सभा ने 28 मई, 1972 को यह अनुरोध करते हुए एक संकल्प पारित किया था कि राज्य सरकार उक्त संस्था की सम्पूर्ण जंगम और स्थावर सम्पत्तियों को ग्रहण कर ले और राज्य उसे विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दे ।

1860 का 21

5-(1) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 1[* * *] से भिन्न) प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अनुसूची में उसके सामने तत्समय विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में किया जा सकेगा ।

शक्तियों का
राज्य क्षेत्र में
प्रयोग

(2) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थित संस्थाओं को संबद्ध कर सकेगा और ऐसे राज्य क्षेत्र के अथवा विदेश के अध्यापकों को मान्यता प्रदान कर सकेगा तथा वहां के अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षाओं में बैठने के लिये अनुमति दे सकेगा ।

परन्तु विश्वविद्यालय संबद्ध सरकार की सिफारिश के बिना—

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 06, 2009 की धारा 2(क) द्वारा निकाला गया ।

(क) उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्था को संबद्ध नहीं करेगा, अथवा

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित तथा सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी संस्थान में नियोजित किसी अध्यापक को मान्यता नहीं प्रदान करेगा ।

(3) 1[* * * *]

(4) 2[* * * *]

3[(5) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होमियोपैथिक शैक्षिक और शैक्षणिक संस्थाओं को 4[डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा अथवा 5[छत्रपति] शहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध किया जा सकेगा ।

6[***]

7[(7) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी उर्दू अरबी और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान एवं उसके ज्ञान एवं विस्तार के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश 8[ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ] की प्रदत्त शक्तियां सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रयोग की जायेंगी ।]

6-विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये होगा, भले ही ये किसी वर्ग या मत के हों, किन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में अध्यादेशों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्ट करने की अपेक्षा है ;

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिये होगा

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि विश्वविद्यालय को 9[अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों] के छात्रों के प्रवेश के लिये विशेष उपबन्ध बनाना मना है ।

7-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कर्तव्य

(1) ऐसे विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करना जिन्हें विश्वविद्यालय ठीक समझे, तथा अनुसंधान-कार्य और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना ;

(2) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से ही यथास्थिति, संबद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना अथवा उसमें कमी करना और संबद्ध

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 06, 2009 की धारा 2(ख) द्वारा निकाला गया ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 02, 2014 की धारा 4 द्वारा निकाला गया ।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 1977 की धारा 9 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
4. उ० प्र० राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 4, 1996 की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1997 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 42, 2018 की अनुसूची द्वारा निकाला गया ।
7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, 2010 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
8. उ० प्र० अधिनियम संख्या 08, 2020 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

तथा सहयुक्त महाविद्यालयों का मार्ग-दर्शन करना तथा उनके कार्य का नियंत्रण करना ;

(3) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को संस्थित करना ;

(4) ऐसे व्यक्तियों के लिये, परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियों, डिप्लोमाओं और अन्य शैक्षिक, विशिष्टताओं को ऐसे व्यक्तियों को प्रदान एवं संप्रदान करना --

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी संबद्ध महाविद्यालय में अथवा किसी सहयुक्त कालेज में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो ; या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में, या विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी संस्था में या स्वतंत्र रूप से, परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्य किया हो ; या

(ग) जिन्होंने पत्राचार द्वारा, चाहे विश्वविद्यालय के क्षेत्र में या उसके बाहर निवास करके, किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, और जो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित की जाएं, बाह्य अभ्यर्थियों के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकृत किये गये हों ; या

(घ) जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में या किसी घटक या संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में या अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक या अन्य कर्मचारी हों अथवा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में स्थायी रूप से नियोजित निरीक्षण अधिकारी हों, और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो ; या

(ङ) जो विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास करने वाली महिलायें हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो ; या

(च) जो नेत्रहीन हों और विश्वविद्यालय क्षेत्र में निवास करते हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो ;

(5) विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिये जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किये हों, परीक्षायें लेना और उन्हें बैचलर आफ आर्ट्स या कामर्स अथवा मास्टर आफ आर्ट्स या कामर्स की उपाधि प्रदान करना ;

(6) परिनियमों में अधिकथित रीति तथा शर्तों के अधीन, सम्मानित उपाधियां अथवा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टतायें प्रदान करना ;

(7) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, ऐसे डिप्लोमा देना और उनके लिये ऐसे व्याख्यानो तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जिसे विश्वविशालय अवधारित करे ;

(8) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे ;

(9) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन-पदों को संस्थित करना तथा ऐसे पदों

पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(10) छात्र निवास में शिक्षण देने के लिये अध्यापकों को मान्यता देना ;

(11) महाविद्यालयों की संबद्धता या मान्यता संबंधी शर्तें अधिकथित करना और समय समय पर निरीक्षणों द्वारा या अन्यथा अपना यह समाधान करना कि ऐसी शर्त पूरी की जा रही है ;

(12) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, (जिसके अन्तर्गत यांत्रिक अधिछात्रवृत्तियां भी हैं) विद्यावृत्तियों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना ;

(13) छात्र निवासों तथा छात्रावासों को संस्थित तथा पोषित करना और विश्वविद्यालय, संस्थानों या घटक या संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों के लिये निवास स्थानों को मान्यता देना ;

(14) ऐसी फीस और अन्य प्रभार मांगना तथा प्राप्त करना जो अध्यादेशों द्वारा नियत किये जाएं ;

(15) विश्वविद्यालय, संस्थान तथा घटक या संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए व्यवस्था करना ;

(16) प्रशासकीय, लिपिक-वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ; तथा

(17) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रतर करने के लिए अपेक्षित ऐसे सभी कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों को आनुषंगिक हों या न हों ।

1[7-क-उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर 2[डा0 भीमराव 3[आंबेडकर] विश्वविद्यालय, आगरा आगरा अथवा जैसा विषय हो 4[छत्रपति] शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर]-

कतिपय विश्वविद्यालयों की अतिरिक्त शक्तियां एवं कर्तव्य

(क) होम्योपैथिक में परीक्षाएं लेगा और डिप्लोमा प्रदान करेगा,

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन गठित होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिये परीक्षा लेने और डिप्लोमा प्राप्त करने का कार्य करेगा और उक्त परीक्षाओं को लेने और डिप्लोमा प्रदान करने के निदेश में उक्त अधिनियम के अधीन गठित ऐसे बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा ।]

5[7-x x x]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1977 की धारा 10 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
2. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 4, 1996 की धारा 5 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1997 की धारा 3 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 2020 की धारा 4 द्वारा निकाला गया ।

अध्याय 3

निरीक्षण तथा जांच

8—(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदेश **परिदर्शन** दे, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी घटक महाविद्यालय अथवा किसी संस्थान का, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला तथा उपस्कर भी हैं और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा संचालित या कराई गई परीक्षा, अध्यापन—कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार होगा ।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच कराने का निश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी, और ऐसे निरीक्षण या जांच में परिषद् द्वारा नाम—निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा;

परन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति निधि व्यवसायी के रूप में न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी जो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के निमित्त बाध्य करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जाएगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को संबोधित करेगी, और कुलपति, राज्य सरकार के विचार ओर उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्य परिषद् को संसूचित करेगा ।

(5) कुलपति तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे, उसे कार्य परिषद् द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रतिस्थापित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे तो राज्य सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे ।

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (1) के अधीन कराए गए प्रत्येक निरीक्षण या जांच की और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी किए गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियां भेजेगी ।

(8) उपधारा (6) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कुलाधिपति की, उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री पर, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की गई किसी जांच की रिपोर्ट भी है, विचार करने के पश्चात् यह राय हो कि कार्य परिषद् अपने कृत्यों का पालन करने में असफल रही है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उससे अवसर देने के पश्चात् यह आदेश दे सकेगा कि उक्त कार्य परिषद् को अतिष्ठित करते हुए कुलाधिपति तथा दस से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त नियुक्त करे जिसके अन्तर्गत अतिष्ठित कार्य परिषद् का कोई सदस्य भी है, गठित एक तदर्थ समिति दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये और उपधारा 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये जिसे कुलाधिपति समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के अधीन कार्य परिषद् की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और अनुपालन करेंगी ।

(9) उपधारा (8) के अधीन गठित तदर्थ कार्य परिषद् की संरचना पर धारा 20 की कोई बात लागू न होगी ।

(10) उपधारा (8) के अधीन आदेश दिये जाने पर, उससे अतिष्ठित कार्य परिषद् के सभी सदस्यों की, जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी हैं, पदावधि समाप्त हो जाएगी और ऐसे सभी सदस्य इसरूप में अपना पद रिक्त कर देंगे ।

(11) उपधारा (8) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में, इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 20 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित समझी जाएगी :—

“(6) कार्य परिषद् का अधिवेशन प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार होगा।”

(ख) धारा 21 की उपधारा (1) में “इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए”, शब्दों के पश्चात्, “तथा कुलाधिपति के भी नियंत्रणाधीन रहते हुए” शब्द अन्तःस्थापित समझे जायेंगे ;

(ग) धारा 24 की उपधारा (2) में, “और सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अध्यादेश पर” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा ।

(12) उपधारा (8) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति से धारा 20 के उपबन्धों के अनुसार एक नई कार्य परिषद् गठित की जाएगी ।

(13) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि वे उपधारा (11) के उपबन्धों के कारण उपान्तरित समझे जायेंगे, उपधारा (8) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में बनाया गया कोई परिनियम, अध्यादेश, विनियम या किया गया

आदेश, ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर भी, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संशोधित, निरसित या विखंडित न कर दिया जाए।

अध्याय 4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

विश्वविद्यालय के
अधिकारी

(क) कुलाधिपति ;

(ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की दशा में, प्रतिकुलाधिपति ;

(ग) कुलपति ;

(घ) धारा 14 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों की दशा में, प्रतिकुलपति;

(ङ) वित्त अधिकारी ;

(च) कुलसचिव ;

1[(चच) परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई नियुक्त हो ;]

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष ;

(ज) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष ;

(झ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें ।

10—(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा । यह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान तथा सभा का सभापति होगा और जब वह उपस्थित हो तो सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा ।

कुलाधिपति

(2) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगी ।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से संबंधित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे ।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायें ।

11—(1) वाराणसी के महाराजा विभूति नारायण सिंह सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति—कुलाधिपति आजीवन बने रहेंगे ।

प्रति—
कुलाधिपति

(2) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, प्रति—कुलाधिपति सभा के अधिवेशनों का तथा विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 1995 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

(3) प्रति—कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायें ।

12—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा उपधारा (5) या उपधारा (10) द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए हों ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) ¹[कुलपति की पदावधि की समाप्ति के कारण उसके पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से कम से तीन मास पूर्व] एक ऐसा व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय संस्थान, घटक महाविद्यालय, सहयुक्त या संबद्ध महाविद्यालय अथवा छात्र—निवास या छात्रावास से सम्बन्धित व्यक्ति न हो) जिसका निर्वाचन कार्य परिषद् द्वारा किया जाना है ;

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है या रहा हो, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी है ; और

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो समिति का संयोजक भी होगा ।

²[परन्तु जहां कार्य परिषद् खंड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने में असफल रहती है, वहां कुलाधिपति खंड (ग) के अधीन अपने द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त एक व्यक्ति को कार्य परिषद् के प्रतिनिधि के बदले में नाम—निर्दिष्ट करेंगे ।]

(3) उपधारा (7) के अधीन पदावधि की समाप्ति अथवा पद त्याग के कारण कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाए और ऐसी तारीख के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों । समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताएं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान—क्रम उपदर्शित न करेगी ।

(4) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्ति किए जाने के उपयुक्त नहीं समझता है अथवा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति के लिए उपलब्ध न हों और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो वह समिति से उपधारा (3) के अनुसार नए नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 4 (क) (1) द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उपर्युक्त की धारा 4 (क) (2) द्वारा अन्तर्विष्ट ।

(5) यदि समिति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असफल या असमर्थ है, ¹[या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किए गए नए नाम वालों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं] तो कुलाधिपति शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्त करेगा जो धारा 3 के अनुसरण में किसी का नाम प्रस्तुत करेगी ।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जाएगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थीं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया जिसके सम्बन्ध में वाद में यह पाया जाए कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था ।

²[(7) (क) केवल ऐसा व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो ;

(ख) कुलपति अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा ;

(ग) कुलपति, जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, को इस रूप में द्वितीय कार्यकाल के लिये नियुक्त किया जा सकता है ;

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग-पत्र मंजूर कर लिए जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा ।]

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे ।

(9) कुलपति धारा 33 के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा ।

³ [परन्तु जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाय तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका वह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा हो ।]

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 4 (ख) के द्वारा अन्तर्विष्ट तथा सदैव से अन्तर्विष्ट किए गए समझे जायेंगे ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 4 (क) (1) द्वारा बढ़ाया गया ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 3 के द्वारा बढ़ाया गया और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायेगा ।

(10) निम्नलिखित किन्ही भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने का एक मात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होगा) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छह मास से अनधिक पदावधि के लिए, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेगा—

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पदत्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जावे अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जाएगी ;

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाए और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो ;

(ग) किसी अन्य आपात में ;

परन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि की समय-समय पर बढ़ा सकेगा किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) एक वर्ष के अधिक न हो ।

(11) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक प्रति-कुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहां प्रति-कुलपति न हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा धारा 38 में उल्लिखित या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय की दशा में, विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य, या किसी अन्य विश्वविद्यालय की दशा में सम्बद्ध महाविद्यालय का ज्येष्ठतम प्राचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा ।

1[(12) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकते हैं ।

(13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच की अनुध्यात रहते हुए, कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रतर आदेश न दिया जाय,—

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन हकदार था ;

(ख) कुलपति पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायगा ।]

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 1994 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।

13-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी **कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य** होगा, और---

(क) विश्वविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा पोषित घटक महाविद्यालय तथा संस्थान भी है, और उसके सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों के कार्य-कलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा ।

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा ;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा ;

(घ) विश्वविद्यालय में अनशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

1[(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का विद्यासत्र समुचित तारीख को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा ।]

(2) वह कार्य-परिषद्, विद्या-परिषद्, तथा बिल-समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा ।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा ।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यक्षों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और 2[धारा 10 तथा 68 के अधीन] कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस निमित्त आवश्यक हों ।

(5) कुलपति को कार्य-परिषद्, सभा, विद्या-परिषद्, तथा वित्त-समिति के अधिवेशन बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी ;

परन्तु वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(6) 3 [जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई] ऐसा अत्यावश्यक मामला है जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण कम में मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते ;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 05, 1977 की धारा 5 द्वारा अर्चविष्ट ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 7 द्वारा रखे गये ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 01, 1992 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा ;

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावी करण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस तारीख से जब उसे ऐसे कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य-परिषद्, कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी ।

(7) उपधारा (6) में की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गई हो ।

(8) जहां कुलपति द्वारा उपधारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी 1[* * *] की नियुक्ति की गई हो, तो ऐसी नियुक्ति विहित रीति से नियुक्ति दी जाने पर अथवा कुलपति के आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगी ।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जायें ।

14-(1) यह धारा केवल लखनऊ, इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालयों को और किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय को लागू होती है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

प्रति-कुलपति

2[(2) प्रति-कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक आचार्य ही होगा और उसकी नियुक्ति कुलपति की संस्तुति पर कार्यपरिषद् द्वारा की जायेगी ।]

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रति-कुलपति अपने कर्तव्यों का पालन आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा ।

3[(4) प्रति-कुलपति ऐसी अवधि तक के लिए पद धारण करेगा जो कुलपति के पद का सह विस्तारी होगा तथापि यह कुलपति का परमाधिकार होगा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान कार्यपरिषद् को किसी नये प्रति-कुलपति की संस्तुति करे ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 01, 1992 की धारा 2(ख) द्वारा निकाला गया ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 02, 2014 की धारा 5(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 02, 2014 की धारा 5(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(5) प्रति-कुलपति ऐसी धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अवधारित किया जाय ।]

(6) प्रति-कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे तथा कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति उसे सौंपे तथा प्रत्यायोजित करे ।

15-(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी तथा उसके पारिश्रमिक तथा भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा । **वित्त अधिकारी**

(2) वित्त अधिकारी, सभा के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों को निकालने और वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(3) उसे कार्य-परिषद् में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाए ;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो परिनियमों तथा अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(5) वित्त अधिकारी की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हों ।

(6) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालयों की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा ।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां तथा कृत्य वे होंगे जो विहित किये जाएं ।

16-(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा ।

कुल सचिव

(2) धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार कुल सचिव की नियुक्ति की जायगी और उसकी सेवा की शर्तें उनके अधीन होंगी ।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी ।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा । वह कार्य परिषद्, सभा, ¹[विद्या-परिषद् और प्रवेश-समिति] तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा तथा वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हो । वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिणियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जाएं या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो किन्तु वह, इस उपधारा के आधार पर, मत देने का हकदार न होगा ।

(5) ²[* * * *]

(6) कुलसचिव को धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायगा और न वह स्वीकार करेगा ।

³[16-क-(1) यह धारा केवल लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और कानपुर विश्वविद्यालयों को और किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय को लागू होती है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

परीक्षा नियंत्रक

(2) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा ।

(3) परीक्षा नियंत्रक को नियुक्ति राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी ओर उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा ।

(4) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा । यह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसा समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो । वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिणियमों ओर अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं या कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा । वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या संस्थान से ऐसा विवरणी प्रस्तुत करने की या ऐसा जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जा उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 1995 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 1995 की धारा 3(ख) द्वारा निकाला गया ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 1995 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

(5) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस सम्बन्ध में कुल सचिव की सभी शक्तियां प्राप्त होगी ।

(6) परीक्षा समिति के अधीक्षणतया रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षार्थी का संचालन करता और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य सम्बन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(7) परीक्षा नियंत्रक का राज्य सरकार के आदेश के अनुसार के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जाएगा और न वह स्वीकार करेगा ।

(8) यदि कभी परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्तव्य का पालन यथास्थिति परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार सम्भालने या रिक्त के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जाएगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय ।]

1[16-ख-जिन विश्वविद्यालयों की धारा 16-क के उपबन्ध लागू नहीं है उनसे परीक्षा नियंत्रक के कर्तव्यों का पालन कुल सचिव द्वारा किया जायगा और ऐसे विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कुल सचिव की परीक्षा नियंत्रक समझा जायगा ।]

कतिपय विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के सम्बन्ध में कुलसचिव के कर्तव्य

17-(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना कर कुलसचिवों, उप कुलसचिवों तथा सहायक कुलसचिवों की एक ऐसी पृथक् सेवा के सृजन का उपबन्ध करेगी जो समस्त विश्वविद्यालयों के लिये सामान्य होगी तथा ऐसी किसी सेवा में भर्ती को तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करेगी ।

कुलसचिवों, उप कुलसचिवों तथा सहायक कुलसचिवों की सेवा का केन्द्रीयकरण

2[परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई नियम पूर्वगामी तारीख से, जो 31 अक्टूबर, 1975 से पूर्व न हो, बनाया जा सकता है ;]

(2) जब ऐसी कोई सेवा सृजित की जाय, तो **3[कुलसचिव, उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव के प्रशासनिक पदों पर]** तत्समय सेवारत सभी व्यक्ति जो यदि तारीख 14 मई, 1973 से पूर्व स्थायी किये जा चुके हों तो उक्त सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित कर लिये जायेंगे तथा उक्त पदों पर तत्समय सेवा करने वाले अन्य व्यक्ति यदि उपयुक्त पाये जायं, तो उक्त सेवा में अस्थायी या अन्तिम रूप से आमेलित किये जा सकेंगे और यदि उपयुक्त पाये जायं, तो उक्त सेवा में अस्थायी या अन्तिम रूप से उक्त सेवा में आमेलित नहीं किया जाता तो उसकी सेवारत एक मास का वेतन प्रतिकर के रूप में संदत्त किये जाने पर समाप्त समझी जाएगी ।

(3) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को सेवा में आमेलित किया जाय तो उसे लागू होने वाली सेवा की शर्तों, उसके आमेलित किये जाने के पूर्व उस पर लागू शर्तों से, सिवाय इसके कि उसका एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकेगा, कम लाभकारी न होंगी ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 1995 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 6 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 29 द्वारा बढ़ाया गया ।

1[परन्तु सेवा में इस प्रकार के आमेलन से ऐसे आमेलन की तारीख के पूर्व किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने या जारी रखने के लिये कोई रोक नहीं होगी ।]

(4) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष ज बवह सत्र में हो कम से कम तीस दिन की कुल कालावधि के लिये जो उसके एक सत्र में या एक से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद की तारीख नियत न की जाए, राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ऐसे उपान्तरों या निष्प्रभावीकरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनो सदन उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हो जायें किन्तु ऐसे उपान्तरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।

18—कुलाधिपति, प्रतिकुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, 2[वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारी कुल सचिव और परीक्षा, नियंत्रक, यदि कोई नियुक्त हो,] से भिन्न विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी जो परिनियमों तथा अभ्यादेशों द्वारा अधिकथित की जायें ।

3[अध्याय 4—क

समन्वय परिषद और केन्द्रीय अध्ययन परिषद

18—क—(1) एक समन्वय परिषद होगी जिसमें 4[उसके अध्यक्ष के रूप में कुलपति, उसके उपाध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री या उसका नामांकित, जो कैबिनेट मंत्री की श्रेणी से अवर न हो] और निम्नलिखित अन्य सदस्य अन्तर्विष्ट होंगे, अर्थात् :—

- (i) विश्वविद्यालयों के कुलपति;
- (ii) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा राज्य परिषद;
- (iii) न्यायिक विभाग में राज्य सरकार का सचिव;
- (iv) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव;
- (v) राज्यपाल का सचिव;
- (vi) उच्चतर शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का सचिव, जो समन्वय परिषद का पदेन होगा ।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के, अथवा उसके द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन, समन्वय परिषद की शक्तियां एवं कार्य निम्नवत् होंगे, अर्थात् :

- (क) स्नातक की उपाधि के लिए अध्ययन के सामान्य पाठ्यक्रमों की सिफारिश करना;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 6 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट तथा सदैव से अन्तर्विष्ट किये गये समझे जायेंगे ।
 2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 1995 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 3. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 4, 1996 की धारा 6 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
 4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) आधार पाठ्यक्रम के लिए अथवा प्रत्येक विषय के लिए या विषयों के समूह के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद के गठन के सम्बन्ध में सिफारिश करना ;

(ग) विश्वविद्यालयों में शैक्षिक कार्यक्रमों में सहयोग के तरीकों एवं माध्यमों की सिफारिश करना ;

(घ) विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य हित के मामलों पर विचार करना और सिफारिश करना ।

(3) समन्वय परिषद लखनऊ में अथवा ऐसे अन्य स्थान पर और ऐसे अन्तराल पर बैठक करेगी जिसे कुलपति अवधारित कर सकेगा ।

18-ख.- (1) आधार पाठ्यक्रम अथवा ऐसे अन्य विषयों या विषयों के समूह के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद होगा जिन्हें कुलपति, समन्वय परिषद की सिफारिश पर आदेश द्वारा निदेशित कर सकेगा ।

केन्द्रीय अध्ययन परिषद

(2) आधार पाठ्यक्रम के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद में निम्न सम्मिलित होंगे—

(i) प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक अध्यापक जो 1[सहयुक्त आचार्य] अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की पंक्ति से अनिम्न होगा जिसे उपकुलपति द्वारा मनोनीत किया जायेगा और

(ii) पाँच शिक्षाविद् जो समन्वय परिषद की सिफारिश पर कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ख्यातिलब्ध प्रोफेसर की सूचियों पर हों ।

(3) अन्य विषयों अथवा विषयों के समूह के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद में निम्न सम्मिलित होंगे—

(i) उस विषय या विषयों के समूह के सम्बन्ध में, जिनके लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद का गठन किया जाना हो, प्रत्येक विश्वविद्यालय के अध्ययन परिषद का आयोजन :

परन्तु यह कि यदि विश्वविद्यालय का विषय या विषयों के समूह में अध्ययन परिषद न हो, तो उपकुलपति विश्वविद्यालय में 1[सहयुक्त आचार्य] के अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की पंक्ति से अनिम्न किसी भी अध्यापक को मनोनीत कर सकेगा;

(ii) कुलपति द्वारा मनोनीत सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में एक विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तक के विषय का अध्यापन करता हो ;

(iii) कुलपति द्वारा मनोनीत सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में एक विभागाध्यक्ष जो उपाधि स्तर तक के विषय का अध्यापन करता हो ;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(iv) उस विषय पर तीन विशेषज्ञ, जो समन्वय परिषद की सिफारिश पर कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ख्यातिलब्ध प्रोफेसरों की सूची में हो ;

(4) कुलपति केन्द्रीय अध्ययन परिषद के अध्यक्ष को मनोनीत करेगा—

(i) उपधारा (2) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट सदस्यों में से आधार पाठ्यक्रम के लिए और

(ii) उपधारा (3) के खण्ड (i) तथा (ii) में निर्दिष्ट सदस्यों में से अन्य विषय अथवा विषयों में से समूह के लिए।

(5) केन्द्रीय अध्ययन परिषद के गठन और उस पर अध्यक्ष एवं सदस्यों, पदेन सदस्यों को छोड़कर, का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(6) केन्द्रीय अध्ययन परिषद का कार्यकाल उपधारा (5) में निर्दिष्ट अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष होगा और अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल उसके साथ ही समाप्त हो जायेगा :

परन्तु यह कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए मनोनीत सदस्य के पद का कार्यकाल उसके पूर्ववर्ती के कार्यकाल की शेष बची हुई अवधि के लिए होगा।

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अथवा उसके द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अध्यक्षीन केन्द्रीय अध्ययन परिषद के कार्य निम्नवत् होंगे, अर्थात् :

(क) अध्ययन पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं, और शैक्षिक कलेण्डर को निर्धारित करने, और पूर्व स्नातक स्तर के लिए पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य पुस्तकों की सिफारिश करने के लिए समन्वय परिषद की सिफारिशों और कुलपति के अनुमोदन के अध्यक्षीन ;

(ख) समन्वय परिषद अथवा कुलपति द्वारा उसके समक्ष निर्दिष्ट किसी भी मामले पर विचार करना और उस पर रिपोर्ट देना; और

(ग) ऐसे समय के भीतर जिसे कुलपति, लिखित आदेश द्वारा उससे सम्पादित करने की अपेक्षा करे, इस अधिनियम से सुसंगत ऐसे अन्य कार्यों को सम्पादित करना।

(8) अपने कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद उन विशेषज्ञों से भी परामर्श कर सकेगी जो उसके सदस्य नहीं हैं।

(9) कुलपति द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय अध्ययन परिषद की सिफारिशों राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उस तारीख से प्रभावी होंगी जिसे कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(10) कुलपति केन्द्रीय अध्ययन परिषद के किसी भी विनिश्चय को इस आधार पर किसी भी समय निलम्बित, उपान्तरित अथवा इस आधार पर संशोधित कर सकेगा कि उसने

इस धारा में अपवर्णित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया है और वह उस परिषद को मामले पर नये द्य सिर से विचार करने के लिए निदेशित कर सकेगा ।

18-ग- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा राज्य परिषद अधिनियम, 1995 के तहत गठित **सचिवीय सहायता** उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, समन्वय परिषद और केंद्रीय अध्ययन बोर्ड को सचिवीय सहायता प्रदान करेगी।

अध्याय 5

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19-(1) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे—

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(क) कार्य परिषद् ;

(ख) सभा ;

(ग) विद्या परिषद् ;

(घ) वित्त समिति ;

(ङ) संकायो के बोर्ड ;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समितियां ;

(छ) प्रवेश समिति ;

(ज) परीक्षा समिति ; और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जाएं ।

20-(1) कार्य परिषद् निम्नलिखित होंगे—

कार्य परिषद् का गठन

(क) कुलपति जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो ;

(ग) दो संकायों के संकायाध्यक्ष, विहित रीति में चक्रानुक्रम से ;

1[(गग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित आचार्यों या 2[सहयुक्त आचार्य] में से दो सदस्य और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित आचार्यों या 2[सहयुक्त आचार्य] में से दो सदस्य ;]

3[(घ) 4[बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय] तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, हेमवती टण्डन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डाक्टर राम मनोहर लोहिया अथवा विश्वविद्यालय, फैजाबाद और महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की स्थिति में,—

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 2004 की धारा 20 (1) (गग) द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 2014 की धारा 2 प्रतिस्थापित ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 20, 1999 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 2014 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(I) विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति या उपर्युक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य, एक ¹[सहयुक्त आचार्य] और एक ³[सहायक आचार्य] जिसका विहित रीति से चयन किया जायगा ;

(II) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अन्य अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जायगा ;

और धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी अन्य विश्वविद्यालय की स्थिति में, सम्बद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य और चार अन्य अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जायगा;

(घघ) दीन दयाल उपाध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की स्थिति में,—

(i) विश्वविद्यालय के दो आचार्य (उपरोक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रति—उपकुलपति या संकायाध्यक्ष को छोड़कर) दो ³[सहयुक्त आचार्य] एवं दो ³[सहायक आचार्य] जिनका चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा ;

(ii) महाराजा प्रताप शिक्षों परिषद्, गोरखपुर का एक प्रतिनिधि जिसे उक्त परिषद् द्वारा उसके सदस्यों में से निर्वाचित किया जायगा ;

(iii) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अन्य अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जायगा ;]

(ङ) धारा 38 की उपधारा (1) में उल्लिखित या तद्धीन अधिसूचित किसी विश्वविद्यालय की दशा में—

(i) विश्वविद्यालय के दो आचार्य प्रतिकुलपति अथवा उपर्युक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकाय से भिन्न, दो ³[सहयुक्त आचार्य] दो ³[सहायक आचार्य] जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है ;

(ii) किसी सहयुक्त महाविद्यालय का एक प्राचार्य जिसका विहित रीति से चयन किया जाना है ;

(च) सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने गये चार व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अथवा छात्र—निवास हाल या छात्रावास में छात्र के रूप में नामावलिगत न हो या की सेवा में न हों ;

(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित चार व्यक्ति ;

²[परन्तु इस प्रकार नाम—निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो]]

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 02, 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 09, 1988 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

1[(ज) ख्याति प्राप्त उद्योगपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति जिसने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यवान योगदान किया हो]]

2[(2) उपधारा (1) के—

(एक) खण्ड (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी ;

(दो) खण्ड (च) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ; और

(तीन) खण्ड (छ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी]]

(3) कोई भी व्यक्ति, उपधारा (1) के खण्ड (छ:) 3 [या (ज)] के अधीन कार्यपरिषद् का लगातार दो से अधिक पदावधि के लिये सदस्य न होगा ।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में तब तक निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट नहीं किया जायगा जब तक कि वह स्नातक न हो ।

(5) कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिये अनर्ह होगा यदि वह या उसका सम्बन्धी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है ;

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्ही कर्तव्यों का पालन करने के लिये अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्र निवास या छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिये अथवा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश किन्ही कर्तव्यों के लिये कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "नातेदार" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहिन, भतीजा और भतीजी, भी है ।

21—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्य निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्—

कार्य परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य

(i) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना ;

(ii) विश्वविद्यालय की आरे से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना ;

(iii) परिनियमों तथा अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना ;

(iv) विशिष्ट परियोजनाओं के लिये विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार में रखी गई किसी निधि का प्रशासन करना ;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 1995 की धारा 6(क) द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 1982 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 1995 की धारा 6(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (v) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना ;
- (iv) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक तथा अन्य पारितोषिक प्रदान करना ;
- (v) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना ;
- (vi) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक तथा अन्य पारितोषिक प्रदान करना ;
- (vii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिकित्तियों को भरने की व्यवस्था करना ;
- (viii) 1[* * *] परीक्षकों की फीस, उपलब्धियां तथा यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना ;
- (ix) 2 [धारा 37 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये] किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकारों को प्रदान करना अथवा पहले से ही सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना ;
- (x) संस्थानों, सम्बद्ध, सहयुक्त और घटक महाविद्यालयों, छात्र-निवास, छात्रा-वासों तथा छात्रों के अन्य निवास स्थानों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना और निदेश देना ;
- (xi) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार तथा प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना ;
- (xii) विश्वविद्यालय के अध्यापक-वर्ग, प्रशासकीय-वर्ग तथा अन्य कर्मचारि-वर्ग के सदस्यों में परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित तथा प्रवर्तित करना ;
- (xiii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार तथा अन्य सभी प्रशासकीय कार्य-कलापों का प्रबन्ध और विनियमन करना, और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे ;
- (xiv) विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत न्यास तथा विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे, अथवा भारत में स्थावर सम्पत्ति तय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना ;
- (xv) विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिये आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर तथा साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना ;
- (xvi) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और निरस्त करना ;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 8 (क) द्वारा निकाला गया ।

2. उपर्युक्त की धारा 8 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट ।

(xvii) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय तथा घटक, सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना ।

(2) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद्, बन्धक, विक्रय, विनियम, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय को किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किरायें पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न, सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी ।

(3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जाएगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो, और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय ¹[अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार के सिवाय] कोई भी पद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय में सृजित नहीं किया जायगा ।

²[(3-क) कार्य-परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकती है कि ऐसा अध्यापक, जो तत्समय भारत या विशेष में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लीएन (धारण-अधिकार और ज्येष्ठता बनाये रख सके और साथ ही अपने समनुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतन मान में वेतन वृद्धियां अर्जित कर सके और भविष्य निधि में अंशदान करे सके और सेवा निवृत्ति के लाभ, यदि कोई हों, प्राप्त कर सकें ;

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अवधि के लिए ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा ।]

(4) विश्वविद्यालय या किसी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय या कोई सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्ते वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें ।

(5) कार्य परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिये वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी ।

(6) विद्या-परिषद् ओर सम्बद्ध संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य परिषद् अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों ओर परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 4 द्वारा बढ़ाये गये ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 05, 1977 की धारा 8 (ग) द्वारा बढ़ाया गया ।

(7) कार्य परिषद् सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक् रूप में विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे और सभा को यथास्थिति की गई कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी ।

(8) कार्य परिषद् परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को, अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

22—(1) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

सभा

वर्ग 1—पदेन सदस्य

- (i) कुलाधिपति ;
- (ii) कार्य परिषद् के सदस्य ;
- (iii) वित्त अधिकारी ;

वर्ग 2—आजीवन सदस्य

(iv) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सभा या नियामक सभा (सीमेंट) का आजीवन सदस्य था ;

वर्ग 3—अध्यापकों आदि के प्रतिनिधि

(v) विश्वविद्यालय तथा उसके द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों के सभी विभागाध्यक्ष ;

(vi) मेडिकल तथा इंजीनियरिंग संकायों के संकायाध्यक्ष, यदि वे कार्य परिषद् के सदस्य न हों ;

(vii) विश्वविद्यालय ओर उसके घटक महाविद्यालय तथा संस्थानों के छात्रावासों और छात्र निवास के प्रोवोस्टों तथा वार्डनों के दो प्रतिनिधि जिनका चयन विहित रीति में चक्रानुक्रम से किया जाना है ;

(viii) राज्य सरकार द्वारा पोषित घटक महाविद्यालय के सभी प्राचार्य ;

(ix) पन्द्रह अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है ;

(x) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्रबन्ध के दो प्रतिनिधि जिनका चयन विहित रीति में चक्रानुक्रम से किया जाना है ;

वर्ग 4—रजिस्ट्रीकृत स्नातक

(xi) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के पन्द्रह प्रतिनिधि जो ऐसी अवस्थिति के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा, जो विहित की जाए, ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों में से निर्वाचित किये जायेंगे जो विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय की सेवा में न हों, अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, छात्र-निवास या छात्रावास की सेवा में अथवा उसके प्रबन्ध से सम्बद्ध न हो ;

वर्ग 5—छात्रों का प्रतिनिधित्व

(xii) प्रत्येक संकाय का एक छात्र जो उस संकाय में, विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती उपाधि परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात्, विश्वविद्यालय में (जिसके अन्तर्गत

सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय भी है) किसी स्नातकोत्तर उपाधियां विधि अथवा मेडिकल या इंजीनियरिंग उपादि के शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो ;

वर्ग 6— (xiii) 1[* * * *]

वर्ग 7—राज्य विधान मण्डल के प्रतिनिधि

(xiv) विधान परिषद्, द्वारा निर्वाचित उसके दो सदस्य ;

(xv) विधान सभा द्वारा निर्वाचित उसके पांच सदस्य ।

(2) उपधारा (1) में वर्णित सिवाय वर्ग 1, 2 और 5 के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और उक्त वर्ग 5 के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी ।

23—सभा एक सलाहाकार निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

सभा की शक्तियां तथा कर्तव्य

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए उपायों का सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं तथा उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किए जाएं, सलाह देना ; और

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का सम्पादन करना, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों अथवा कुलाधिपति द्वारा सौंपे जायं ।

24—(1) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसी तारीख को होगा जो कुलपति द्वारा नियत की जानी है और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलाएगा ।

सभा का अधिवेशन

(2) कुलपति, जब कभी वह ठीक समझे, सभा का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा, और सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अध्यक्षता पर सभा का विशेष अधिवेशन बुलाएगा ।

25—(1) विद्या-परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए —

विद्या परिषद्

(क) विश्वविद्यालय में दिए जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किए जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर की बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी ;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी है, कार्य परिषद् को सलाह दे सकेगी ;

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 10 द्वारा निकाला गया ।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(i) कुलपति ;

(ii) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, यदि कोई हों ;

(iii) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, और यदि विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो तो सम्बद्ध संकाय में उक्त विषय का प्रतिनिधित्व करने वाला सम्बद्ध महाविद्यालयों से ज्येष्ठतम अध्यापक,

(iv) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों ;

(v) घटक महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा संस्थानों के निदेशक, यदि कोई हों ;

(vi) प्रत्येक घटक महाविद्यालय से (यदि कोई हो) चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठताक्रम में जो विहित रीति में अवधारित की जाएगी, दो आचार्य ;

(vii) संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य, जिनका विहित रीति में चक्रानुक्रम से, चयन किया जाएगा ;

(viii) पन्द्रह अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है ;

(ix) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष ;

(x) विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष ; और

(xi) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पांच व्यक्ति; जो विहित रीति से सहयोजित किए जाएंगे ।

1[परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन गठित विद्या परिषद् में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़ें वर्गों से सम्बन्धित कोई सदस्य न हो तो कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित दो सदस्य और नागरिकों के अन्य पिछड़ें वर्गों से सम्बन्धित दो सदस्य विहित रीति से चक्रानुक्रम से नाम निर्दिष्ट करेगा ।]

(3) धारा 2[65] के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को पदावधि वही होगी जो विहित की जाए ।

26—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

वित्त समिति

(क) कुलपति ;

3[(कक) उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का सचिव ;

(ककक) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव ;]

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 01, 2004 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 05, 1977 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 4, 1996 की धारा 8(क) द्वारा संशोधित ।

(ख) प्रतिकूलपति, यदि कोई हो ;

(ग) रजिस्ट्रार ;

1[(गग) परीक्षा नियंत्रक ;]

(घ) कार्य परिषद् द्वारा निर्वाचित एक ऐसा व्यक्ति, जो कार्य-परिषद् या विद्यापरिषद् का सदस्य या विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय में सेवा करने वाला व्यक्ति या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबंध समिति का सदस्य या ऐसे महाविद्यालय को सेवा करने वाला व्यक्ति न हो ; और

(ङ) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा ।

2[(1-क) उपधारा (1) के खण्ड (कक) अथवा खण्ड (ककक) में निर्दिष्ट सदस्य स्वयं वित्त समिति की बैठक में सम्मिलित होने के बजाय किसी अधिकारी को, राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के अनिम्न व्यक्ति का नहीं होगा, प्रतिनियुक्ति कर सकेगा और इस प्रकार प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारी को मतदान करने का भी अधिकार प्राप्त होगा।]

(2) वित्त समिति, कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से, वित्तीय कार्य वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर आबद्ध कर होगी ।

(3) वित्त समिति को ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

3[(4) जब तक वित्त समिति द्वारा वित्तीय विवक्षा को रखने वाले प्रस्ताव की सिफारिश न की गयी हो तब तक कार्य परिषद् उस पर निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्य परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह उस सहमति के लिये वित्त समिति को प्रस्ताव वापस निर्दिष्ट कर देगी और यदि कार्य परिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिश से असहमत है तो मामले को कुलपति के समक्ष निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर दिया गया विनिश्चय अन्तिम होगा।

27-(1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे, जो विहित किए जाएं ।

संकाय

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे, जो विहित किए जाएं और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे, जो उसे अध्यादेश द्वारा सौंपे जाएं ।

(3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (जिसके अनतर्गत उसके सदस्यों की पदावधि भी है) तथा शक्तियां और कर्तव्य वहीं होंगे, जो विहित किए जाएं ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 1995 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 4, 1996 की धारा 8(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

3. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 4, 1996 की धारा 8(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।

(4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा, जो आचार्यों में से, चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठता क्रम में चुना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

1[परन्तु किसी मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला महाविद्यालय की छ्षा में ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य, यथास्थिति मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला संकाय का पदेन संकायाध्यक्ष होगा ।]

परन्तु यह और कि यदि एक से अधिक ऐसा महाविद्यालय हो, तो प्रत्येक ऐसे संकाय कि संकायाध्यक्ष का पद ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्यों के बीच विहित रीति से चक्रानुक्रमित होगा ;

2[परन्तु यह भी कि यदि संकाय में कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष का पद उस संकाय के 3[सहयुक्त आचार्यों] द्वारा, और यदि कोई 3[सहयुक्त आचार्य] नहीं है तो अन्य अध्यापकों द्वारा ज्येष्ठता-क्रम के अनुसार बारी-बारी से धारण किया जायगा ।]

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह—

(क) संकाय के विभागों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यों के संगठन तथा संचालन ; तथा

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् पालन के लिए उत्तरदायी होगा ।

4 [(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा, जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायगी ;

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति जो इस उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख में ठीक पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा हो, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनों पर पद धारण किये रहेगा, जिन पर उक्त तारीख के ठीक पूर्व धारण किये हों ।]

(7) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे, जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये जाएं ।

(8) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार, अध्ययन बोर्डों को गठित किया जायगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय सौंपे जा सकेंगे ।

28—(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी, जिसका गठन अध्यादेशों में प्रवेश समिति यथा उपबन्धित रूप में होगा ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 11 (क) द्वारा रखा गया ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1974 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 11(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) प्रवेश समिति को उतनी उपसमिति नियुक्त करने की शक्ति होगी जितनी वह ठीक समझे ।

(3) विद्या-परिषद् के अधीक्षणधीन तथा उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानों को अधिकथित करेगी और विश्वविद्यालय द्वारा घोषित संस्थान या घटक महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रवेश प्राधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति या उपसमिति को भी नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(4) उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति राज्य सरकार द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों में और सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये मापदंड या रीति 1[(जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है)] के सम्बन्ध में कोई निदेश दे सकेगी और ऐसे निदेश ऐसे महाविद्यालयों पर आबद्धकर होंगे ।

2[(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुये भी,—

(क) किसी विश्वविद्यालय, संस्थान, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या सहयुक्त महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये प्रवेश के लिये ऐसे आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उस निमित्त बनायें ;

परन्तु इस खण्ड के अधीन आरक्षण किसी पाठ्यक्रम में स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ;

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के मामले में लागू नहीं होगा ;

परन्तु यह भी कि इस खण्ड के अधीन आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा ;

(ख) मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में, और शिक्षण या आयुर्वेदिक ओर युनानी चिकित्सा प्रणाली में उपाधियों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) ऐसे आदेशों द्वारा (जिसे आवश्यक होने पर भूतलक्षी प्रभाव भी दिया जा सकेगा किन्तु जो 1 जनवरी, 1979 के पूर्व से प्रभावी नहीं होगा) विनियमित होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उस निमित्त बनायें ;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 5(क) द्वारा अन्तर्विष्ट ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 1994 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु इस खण्ड के अधीन प्रवेश के विनियमन का कोई आदेश अल्पसंख्यक वर्गों के, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से असंगत न होगा ;

(ग) खण्ड (क) के अधीन कोई आदेश बनाने में राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करने या उसके प्रयोजनों को विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह तीन मास से जनधिक की अवधि के लिये कारावास से या एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से या दोनों से, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, दण्डनीय होगा ।

(5-क) उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसा कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं ।]

(6) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी महाविद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, और ऐसा उल्लंघन करके दिए गए किसी प्रवेश को रद्द करने की कुलपति को शक्ति होगी ।

29-(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जो अध्यादेशों में यथा उपबंधित रूप में गठित की जाएगी । **परीक्षा समिति**

(2) धारा 42 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित के सिवाय-समिति, साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेंगी, और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेंगी, अर्थात् :—

(क) परीक्षकों तथा अनुसूचितों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना ;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके बारे में विद्या-परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्या-परिषद् से सिफारिश करना ;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रतिस्थापित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना ।

(3) परीक्षा समिति उतनी उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप-समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

1[(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या, यथास्थिति किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के किये, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 11 द्वारा अन्तर्विष्ट ।

(3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है ।]

30-विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य अन्वय अधिकारी वहीं होंगे, जो विहित किए जाएं ।

अध्याय 6

अध्यापकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

31-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अध्यापक और सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक (राज्य सरकार 1[* * *] द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) यथास्थिति कार्य परिषद्, अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतत् पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किए जायेंगे। 2[चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो।]

अध्यापकों की नियुक्ति

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक, निदेशक तथा प्राचार्य की नियुक्ति जो उपधारा (3) के अधीन की गई नियुक्ति न हो, प्रथमतः एक वर्ष के लिए परीवीक्षा पर होगी जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ;

परन्तु परीवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायगा जब तक कि—

(क) विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् कार्य-परिषद् आदेश न दे दे ;

(ख) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की दशा में प्रबंध समिति आदेश न दे दे, और

(ग) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के किसी अन्य अध्यापक की दशा में प्राचार्य और उस विषय के ज्येष्ठतम अध्यापक (जब तक कि ऐसा अध्यापक, उस विषय का ज्येष्ठतम अध्यापक न हो) को रिपोर्टों पर भी विचार करने के पश्चात् प्रबंध समिति आदेश न दे दे ।

3[परन्तु यह ओर कि संबद्ध अध्यापक को, प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना, सेवा समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायगा ;

परन्तु यह भी कि यदि, यथास्थिति, परीवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाय तो परीवीक्षा अवधि तब तक के लिए बढ़ जायगी जब तक कि प्रथम परन्तुक के खंड (क) के अधीन कार्य परिषद् का अंतिम आदेश या, यथास्थिति, जब तक कि धारा 35 के अधीन कुलपति के अनुमोदन की संसूचना सम्बद्ध अध्यापक को न दी जाय ।]

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1978 की धारा 10 द्वारा निकाला गया ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 1992 की धारा 3(क) द्वारा बढ़ाया गया ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 05, 1977 की धारा 12 द्वारा अन्तर्विष्ट ।

(3) (क) आचार्य से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, संकाय के संकायाध्यक्ष और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति और सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, कुलपति द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ के परामर्श से प्रबन्ध समिति किसी अध्यापक को छुट्टी मंजूर किए जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निर्देश किए बिना, से दस मास से अनधि की कालावधि के लिए स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगी किन्तु अन्य रिक्त या पद, जिसको छह मास से अधिक की कालावधि के लिए होना संभाव्य हो ऐसे निर्देश के बिना नहीं भरेगी ।

1[(ख) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश के पश्चात्) किसी ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया हो जिसके छह मास से अधिक चलने की संभावना रहे हो, और जिस पद को बाद में स्थाई पद में परिवर्तित कर दिया गया हो, या किसी स्थायी पद पर ऐसी रिक्ति में नियुक्त किया गया हो, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिये छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐस पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाय या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नव सृजित हो वह, यथास्थिति, कार्य-परिषद् या प्रबन्धतंत्र, यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करता तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर अधिष्ठायी रूप से, चयन समिति को निर्देश के बिना नियुक्त कर सकेगा ;

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि अध्यापक, ऐसी अधिष्ठायी नियुक्ति के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात्, हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो ;

परन्तु यह और कि इस खंड के अधीन अधिष्ठायी रूप में नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि पर्यन्त लगातार काम किया हो, एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायगा जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, और उपधारा (2) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।]

2 [(ग) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जिसकी नियुक्ति 3 [सहायक आचार्य/अंशकालिक सहायक आचार्य] के रूप में 31 दिसम्बर, 1997 को या उसके पूर्व अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था के रूप में ऐसी नियुक्ति के लिए तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार चयन समिति को निर्देश दिये बिना की गयी थी, कार्य परिषद् द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है, यदि उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति को उपलब्ध हो, और यदि ऐसा अध्यापक—

(एक) 31 दिसम्बर, 1991 को इस रूप में ऐसी अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनांक से निरन्तर कार्य कर रहा हो ;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 05, 1977 की धारा 12 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 23, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(दो) मौलिक नियुक्ति के दिनांक को प्रवृत्त सुसंगत परिणियमों के उपबन्धों के अधीन 31 दिसम्बर, 1997 को पद पर नियमित नियुक्ति के लिये अपेक्षित अर्हतायें रखता हो;

(तीन) कार्य परिषद् द्वारा नियमित नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाया गया हो।

ऐसा कोई अध्यापक जिसे उपर्युक्त प्रकार से अल्पकालिक व्यवस्था में नियुक्त किया गया हो, जो इस खण्ड के अधीन कोई मौलिक नियुक्ति नहीं पाता है ऐसे दिनांक को जैसा कार्य परिषद् विनिर्दिष्ट करे ऐसा पद धारण नहीं करेगा।]

(4) (क) विश्वविद्यालय के अध्यापक (किसी संस्थान के निदेशक और घटक महाविद्यालय के प्राचार्य से भिन्न) की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(i) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

1[(i-क) संकाय का संकायाध्यक्ष, जहाँ कहीं लागू हो।]

(ii) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष ;

परन्तु विभागाध्यक्ष दस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा ज बवह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब सम्बद्ध पद उसके अधिकारी पद से पंक्ति में ऊंचा हो, और ऐसी दशा में उसका पद विभाग में आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा ;

2[परन्तु यह भी कि जहाँ कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामलों की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहाँ वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निदेश दे सकते हैं, जैसी वे उचित समझे।]

(iii) किसी आचार्य या 3[सहयुक्त आचार्य] की दशा में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

4[(iii-क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों में से प्रत्येक से एक शिक्षाविद, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी संबंधित श्रेणी का न हो।]

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई किसी स्कीम के अधीन कमोत्रत घटक मेडिकल महाविद्यालय के किसी विभाग के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार का एक-एक नाम निर्देशिती ;

(v) किसी संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में, यथास्थिति, संस्थान का निदेशक या घटक महाविद्यालय का प्राचार्य।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 2014 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 12(2) द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 2014 की धारा 7(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) संस्थान के निदेशक या घटक महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(i) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ii) दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

¹ [(ग) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय, जिसमें स्ववित्तपोषित निजी महाविद्यालय सम्मिलित है (राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न), के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा नाम—निर्दिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा ;

(ii) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये जाने वाले प्रबन्ध समिति के दो सदस्य, जिनमें से एक शैशिक प्रशासन में विशेषज्ञ होगा ;

(iii) कुलपति का एक नाम निर्देशिती, जो उच्च शिक्षा का एक विशेषज्ञ होगा ;

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञ प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गए एवं कुलपति अनुमोदित तीन विशेषज्ञों के पैनल में से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(iv) तीन विशेषज्ञ, जिसमें महाविद्यालय का प्राचार्य, एक आचार्य और एक विष्णात शिक्षाविद्, जो आचार्य के रैंक के नीचे का न हो, कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित छः विशेषज्ञों के पैनल में से प्रबंध समिति द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञों को प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गए एवं कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित छः विशेषज्ञों के पैनल में से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ;

(v) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों में से प्रत्येक से एक शिक्षाविद्, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, यदि इन वर्गों का कोई भी अभ्यर्थी आवेदक हो तथा यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी संबंधित श्रेणी का न हो ;

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, यह उप खण्ड लागू नहीं होगा ।]

(घ) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार ²[x x x] द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे —

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 2014 की धारा (7) (दो) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1978 की धारा 10 द्वारा निकाला गया ।

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रबन्ध का एक सदस्य, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

1[(ii) महाविद्यालय का प्राचार्य,

(iii) सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष, यदि लागू हो तो ;

(iv) कुलपति के दो नामनिर्देशिती जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए ;

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, यह उप खण्ड लागू नहीं होगा ।

(v) कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञ की सूची से कुलपति द्वारा पाँच सदस्यों के पैनल में से संस्तुत प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विषय विशेषज्ञ जो महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो ;

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, विशेषज्ञों को प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गए एवं कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पाँच विशेषज्ञों के पैनल में से प्रबन्ध समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।]

2[(ड) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए चयन समिति उसी प्रकार से होगी जैसे क्रमशः आचार्य, सहयुक्त आचार्य और सहायक आचार्य के लिए होगी, सिवाय यह कि यथास्थिति पुस्तकालय में संबंधित विशेषज्ञ या कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष एक विषय विशेषज्ञ के रूप में चयन समिति से सहयुक्त होगा ।]

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानी संकाय या उत्तर प्रदेश में या उसके बाहर स्थित ऐसे विद्यालयालयों या अनुसंधान संस्थानों से जिन्हें कुलपति आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनाएगा । उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा, जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो ।

(ख) प्रत्येक संकाय का बोर्ड प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए सोलह या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक स्थायी पैनल बनाएगा, और उपधारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा, जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो ।

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जाएगा ।

3 [(घ) यथा स्थिति, कुलाधिपति या कुलपति चयन समिति में अपने नाम निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 02, 2014 की धारा 7(3) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 02, 2014 की धारा 7(4) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 12 (ii) द्वारा बढ़ाया गया ।

उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट आदेश में संसूचित कर सकेगा । ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति, जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जाएगा ।]

स्पष्टीकरण—(1) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा की जिससे स्नातककोत्तर उपाधि अथवा उसके भाग 1 या 2 के लिए पृथक् पाठ्यक्रम विदित हो, पृथक् पाठ्य विषय समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—(2) जहां चयन किए जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्यविषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्यविषय का हो सकेगा ।

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गई किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो ।

(7) उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति गणपूर्ति होगी ।

1[परन्तु आचार्य या 2[सहयुक्त आचार्य] के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे ।]

3[(7-क) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिए एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनधिक नामों की सिफारिश करे ।]

4[(7-ख) चयन समिति की सभी चयन प्रक्रियायें चयन समिति की बैठक के दिन ही पूर्ण कर ली जायेंगी, जिसमें चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अंक देने के प्रपत्र और चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची सहित श्रेष्ठता के आधार पर की गयी संस्तुतियाँ/श्रेष्ठता के आधार पर नामों के पैनल के साथ कार्यवृत्त अभिलिखित किया गया हो ।]

(8) (क) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश से सहमत न हो तो कार्य परिषद् उस मामले की ऐसी असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ;

5[परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद् चयन समिति के अधिवेशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करें, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा ।]

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 04, 1995 की धारा 2(क) द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 12 (iii) द्वारा अन्तर्विष्ट और सदैव से अन्तर्विष्ट किये गये समझे जायेंगे ।

4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 2014 की धारा 7 (4) द्वारा बढ़ाया गया ।

5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 12 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट ।

1[(कक) जहां खण्ड (क) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चय करने की विफलता कार्य परिषद् के किसी दौंव के कारण न हो तो कुलाधिपति कार्य परिषद् से ऐसे समय के भीतर जैसा कुलाधिपति समय-समय पर अनुमति दें विनिश्चय करने की अपेक्षा कर सकता है और कुलपति को इस प्रयोजन के लिए कार्य परिषद् की बैठक बुलाने का निदेश दे सकता है ;]

परन्तु—

(एक) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश से सहमत नहीं है तो कार्य परिषद् ऐसी असहमति के कारणों सहित मामलों को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ;

(दो) यदि कार्य परिषद् कुलाधिपति द्वारा अनुमत समय के भीतर विनिश्चय नहीं करती है तो कुलाधिपति मामले का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।]

(ख) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्धतंत्र चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश से सहमत न हो तो प्रबन्धतंत्र उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ;

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्धतंत्र चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश से सहमत न हो तो प्रबन्धतंत्र को एक अन्य चयन समिति नियुक्त करने का अधिकार होगा और उस समिति का विनिश्चित अन्तिम होगा ।

(9) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्यों की, ऐसी समितियों के विचार-विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे प्राचार्यों तथा अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

(10) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाय जिसका 2[भारत] में पर्याप्त परिचालन हो ।

3[(11) (क) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (जो राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न हो) का प्रबन्धतंत्र चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये किसी अध्यापक को नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि कुलपति का पूर्वानुमोदन न ले लिया जाय ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1995 की धारा 12 (4) द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 02, 2014 की धारा 7 (4) (ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उपर्युक्त की धारा 12 (5) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) प्रबंधतन्त्र, चयन समिति के अधिवेशन के पश्चात्, यथाशीघ्र, अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ समिति को सिफारिशों अनुमोदन के लिये कुलपति को प्रस्तुत करेगा ।

(ग) कुलपति, यदि उनका समाधान हो जाय कि चयन समिति द्वारा सिफारिश किया गया अभ्यर्थी विहित न्यूनतम अर्हता या अनुभव नहीं रखता है, या अध्यापक के चयन के लिये अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, प्रबंधतन्त्र को अपनी अस्वीकृति की सूचना देंगे ;

परन्तु यह कि यदि कुलपति खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से एक मास को प्रवधि के भीतर अपनी स्वीकृति की सूचना नहीं देते हैं, या प्रबंधतन्त्र को उसके सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं भेजते हैं तो यह समझा जायगा कि उन्होंने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ।

(12) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, या प्रबंधतन्त्र, कुलपति के पूर्वानुमोदन से अध्यापक के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर, किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति कर सकता है जो पद के लिए विहित अर्हताएं रखता हो ।

¹[x x x]

²[31-क-(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में ³[धारा 31 के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी ⁴[सहायक आचार्य] या ⁴[सहयुक्त आचार्य] को जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो जैसी विहित की जायं, क्रमशः ⁴[सहयुक्त आचार्य] या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है]]

विश्वविद्यालय के
अध्यापकों की
वैयक्तिक
पदोन्नति

(2) ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जायं, दी जायगी ।

(3) इस धारा की किसी बात का कोई प्रभाव धारा 31 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदों पर नहीं पड़ेगा ।]

⁵[31-कक-(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिसिन या दन्त विज्ञान संकाय में मौखिक रूप से नियुक्त किसी सहायक आचार्य को या उक्त विश्वविद्यालय के उक्त संकाय में मौलिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन पदोन्नत किसी सह-आचार्य को जिसकी उतनी

सहयुक्त आचार्य
और आचार्य पद
की पदोन्नति

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 1983 की धारा 10 द्वारा निकाला गया ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 09, 1985 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 04, 1996 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 02, 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 09, 1998 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो जैसी विहित की जायं, सह-आचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पदोन्नति, धारा 31 का उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, दी जायगी ।

स्पष्टीकरण:—लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिसिन या दन्त विज्ञान संकाय के सम्बन्ध में धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट शब्द "उपाचार्य" का अर्थ "सह-आचार्य" होगा ।]

1[(3) इस अधिनियम की उपधारा (1) या उपधारा (2) या किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 842/15-10-97-11(7)/96, दिनांक 11 अप्रैल, 1997 के अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट संकाय में सह-आचार्य या आचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया था और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ के दिनांक का इस रूप में सेवा में सेवारत हों, ऐसे पदोन्नति के दिनांक से उपधारा (1) के अधीन ऐसे पद पर पदोन्नत किया गया समझा जायगा ।]

2[31-ख-(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 में, किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य या अध्यापक के पद पर नियुक्ति मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज सोसायटी, इलाहाबाद के नियमों और उप विधियों के अनुसार की जायगी ।]

नियुक्ति के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के पूर्व उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार की गई समस्त नियुक्तियां उक्त उपधारा के अधीन की गयी समझी जायगी मानों उक्त उपधारा के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।]

32-(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई वैतनिक अधिकारी ओर अध्यापक, सिवाय ऐसी लिखित संविदा के जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी, नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति संविदान

(2) मूल संविदा कुल-सचिव के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी ।

(3) इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व नियोजित किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में, इस प्रकार प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाएं, उस विस्तार तक जहां तक वे इस अधिनियम के परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों से असंगत हों, उक्त उपबन्धों द्वारा उपान्तरित समझी जायेंगी ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1999 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 09, 1998 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

(4) किसी संविदा या अन्य लिखित में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी घटक चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यापकों का, ऐसे विस्तार तक के सिवाय, यदि कोई हो और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राइवेटचिकित्सा व्यवसाय (प्रेक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा ।

33—विश्वविद्यालय तथा प्रत्येक सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, ¹[जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें] ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि गठित करेगा, जिसे वह ठीक समझे, जिसके अन्तर्गत एक ऐसी निधि भी है जिससे ऐसे अध्यापकों या यथास्थिति उनके उत्तराधिकारियों को, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 में यथापरिभाषित केन्द्र के अधीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में निर्योग्य, आहत, या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जाएगा ।

पेंशन, भविष्य निधि आदि

34—(1) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किए गए किन्हीं कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के संदाय सम्बन्धी शर्तें ²[वही होंगी, जो विहित की जायें]।

अध्यापकों के पारिश्रमिकीय अतिरिक्त काम की अनुज्ञेय सीमा

(2) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक, अध्यापन सम्बन्धी कर्तव्यों या किसी परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिकपारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—“पारिश्रमिकीय पद” शब्दों के अन्तर्गत छात्र निवास अथवा छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक, प्राक्टर, क्रीडाधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष और नेशनल कैडेट कोर, राजकीय खेल—कूद संगठन, राष्ट्रीय समाज सेवा स्कीम तथा विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई पद भी है ।

35—(1) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का (जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न हो) प्रत्येक अध्यापक लिखित संविदा के अन्तर्ग नियुक्त किया जायेगा, जिसमें ऐसे निबन्धन तथा शर्तें होंगी, जो विहित की जायें । संविदा विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा रखी जाएगी ।

सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित महाविद्यालयों से भिन्न संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

³(2) ऐसे महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के किसी अध्यापक को पदच्युत करने या हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किया गया प्रत्येक विनिश्चय उसे संसूचित किये जाने के पूर्व, कुलपति को रिपोर्ट किया

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 02, 2014 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

जायेगा और वह तब तक प्रभावी न होगा, जब तक कुलपति द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाय ;

परन्तु यह कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, किसी भी अध्यापक को बर्खास्त, अपसारित करते हुए या पंक्ति में कम करते हुए या अन्य किसी भी प्रकार से दण्डित करते हुए प्रबन्ध समिति के निर्णय में कुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसकी उसे सूचना दी जायेगी और जब तक उसका यह समाधान न हो जाये कि इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, तब तक उस निर्णय को प्रभावी नहीं किया जायेगा ।]

(3) उपधारा (2) के उपबन्ध किसी अध्यापक की सेवा को समाप्त करने के, किसी विनिश्चय पर भी, चाहे वह दण्ड के रूप में हो या अन्यथा हो, लागू होंगे, किन्तु वह उस कालावधि के व्यतीत हो जाने पर जिसके लिए अध्यापक नियुक्त किया गया हो, सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में लागू न होंगे ;

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबन्धतंत्र के किसी अध्यापक की सेवा को समाप्त करने के विनिश्चय के लिए कुलपति का अनुमोदन अपेक्षित न होगा, उसे विनिश्चय की सूचना दी जाएगी और जब तक उसका समाधान न हो जाय, कि इस निमित्त विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है तब तक विनिश्चय प्रभावी नहीं किया जाएगा ।

(4) उपधारा (2) की कोई बात जांच के दौरान निलम्बन के आदेश पर लागू नहीं समझी जाएगी, किन्तु कुलपति द्वारा ऐसा कोई आदेश स्थगित, प्रतिसंहत या उपान्तरित किया जा सकेगा ;

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में ऐसा आदेश कुलपति द्वारा तभी स्थगित, प्रतिसंहत या उपान्तरित किया जा सकेगा, जब ऐसे निलम्बन के लिए विहित शर्तें पूरी न की गई हों ।

(5) ऐसे महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो विहित की जायें ।

36--(1) धारा 32 या धारा 35 में निर्दिष्ट किसी नियुक्ति-संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

**माध्यस्थम्
अधिकरण**

(क) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में, कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा) ;

(ख) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की दशा में, महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक वर्ग कार्य करेगा) ;

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबन्धतंत्र के और सम्बन्धित अध्यापक के नाम निर्देशितियों द्वारा संयोजक का चयन, ऐसे पांच व्यक्तियों के पैनल में से किया जायगा, जिनके लिए प्रबन्धतंत्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो ;

परन्तु यह और कि विहित समय के भीतर उनके संयोजक नियुक्त करने में असफल रहने पर कुलपति पैनल में से संयोजक नाम निर्दिष्ट करेगा ।

(2) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाए तो उस रिक्त को पूर्व के लिए उपयुक्त व्यक्ति या सम्बन्धित निकाय उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है, जिस प्रक्रम पर रिक्त की पूर्ति की जाए ।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेंगी ।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :—

(i) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना ;

(ii) सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को पुनर्नियुक्ति करने का आदेश देना ; और

(iii) सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को, ऐसी आय काटने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलम्बित होने, हटाए जाने, पदच्युत किए जाने अथवा समाप्त किए जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना ।

(5) माध्यस्थम् से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् पर लागू न होगी ।

(6) किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में नहीं की जाएगी, जो उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित हो ;

परन्तु उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारिता युक्त निम्नतम न्यायालय द्वारा निष्पादनी होगा मानों वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो ।

अध्याय — 7

सम्बद्धता तथा मान्यता

37-1[(1) यह धारा डाक्टर भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली, वीरबहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, माहत्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, डाक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद और ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों (लखनऊ विश्वविद्यालय से भिन्न) पर लागू होगी जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें]]

सम्बद्ध
महाविद्यालय

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 06, 2009 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1[(2) कार्यपरिषद् सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जायें, पूरा करने वाले महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी]]

2[* * * *]

3[परन्तु यह कि यदि 4[राज्य सरकार] की राय में कोई महाविद्यालय सारभूत रूप से सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करेगा तो कुलाधिपति उस महाविद्यालय को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह उचित समझे, अध्ययन के पाठ्यक्रम की एक अवधि के लिए सम्बद्धता प्रदान करने की मंजूरी दे सकते हैं या विनिर्दिष्ट विषयों में उसके विशेषाधिकार को बढ़ा सकते हैं ;

परन्तु यह भी कि जब तक कि किसी महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की सभी विहित शर्तों को पूरा नहीं कर दिया जायेगा, तब तक ऐसा महाविद्यालय अध्ययन के उस पाठ्यक्रम में, जिसके लिए पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की गयी हो, ऐसी सम्बद्धता के प्रारम्भ के दिनांक के एक वर्ष के पश्चात् प्रथम वर्ष में किसी छात्र का प्रवेश नहीं करेगा]]

(3) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए, उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्यापन या अनुसंधान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा ।

(4) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध और नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाए रखने तथा उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा ।

(5) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा जिन्हें परिषद् या कुलपति मांगे ।

(6) कार्य-परिषद्, प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का, अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर पांच वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर निरीक्षण कराएगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद् को भेजी जाएगी ।

(7) कार्य परिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

5[(8) कार्य परिषद् द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्यपरिषद् के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिणयनों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा ;]

-
1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 2014 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 7 द्वारा निकाला गया ।
 3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 01, 2004 की धारा 5(क) द्वारा बढ़ाया गया ।
 4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 2007 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 2014 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

1[(9) उपधारा (2) और (8) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है तो 2[राज्य सरकार] प्रबन्धतन्त्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेंगे या उसमें कमी कर सकेंगे ।]

3[(10) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ के पूर्व कोई महाविद्यालय, जिसे पहले ही किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी हो, अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम को, जिसके लिए प्रवेश पहले ही हो गये हों, जारी रखने के लिए हकदार होगा, परन्तु ऐसा कोई महाविद्यालय उपधारा (2) के अधीन सम्बद्धता प्राप्त किये बिना अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी छात्र का प्रवेश नहीं करेगा ।

4[(11) कोई संस्था, जिसका आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया हो, राज्य सरकार के समक्ष नामंजूरी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकती है, जो अपील को मंजूर या नामंजूर कर सकती है । राज्य सरकार कोऐसे मामलों में जहाँ महाविद्यालय द्वारा की गयी, अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हो, महाविद्यालय के आवेदन के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन की भी शक्ति होगी ।

38-5[(1) यह धारा लखनऊ विश्वविद्यालय के लिये लागू होगी ।]

(2) सहयुक्त महाविद्यालय वही होंगे जो परिनियमों द्वारा नामित किए जाएं ।

(3) किसी सहयुक्त महाविद्यालय के लिए किसी अन्य सहयुक्त महाविद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्यापन कार्य में सहयोग प्राप्त करने का इन्तजाम करना विधिपूर्ण होगा ।

6 [(4) किसी सहयुक्त महाविद्यालय की मान्यता की शर्तें ऐसी होंगी जैसा कार्यपरिषद् द्वारा विहित अथवा अधिरोपित की जायं ;]

(5) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्धतन्त्र महाविद्यालय के कार्यों का प्रबन्ध तथा नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा । प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य, उसके छात्रों में अनुशासन बनाए रखने तथा उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा ।

(6) कार्य परिषद् प्रत्येक सहयुक्त महाविद्यालय का अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय समय पर तीन वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर निरीक्षण कराएगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद् को भेजी जाएगी ।

सहयुक्त
महाविद्यालय

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 13 द्वारा अन्तर्विष्ट ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 2007 की धारा 2 द्वारा शब्द "कुलाधिपति" के लिये प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 01, 2004 की धारा 5(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 2014 की धारा 3(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।

5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 28, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 2014 की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

1 [(7) यदि कार्यपरिषद् का यह समाधान हो जाय कि किसी सहयुक्त महाविद्यालय ने मान्यता की शर्तों को पूरा करना बन्द कर दिया है अथवा उसने इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में अथवा कार्यपरिषद् द्वारा उसके काम में बताई गयी किसी त्रुटि को दूर करने में निरन्तर व्यतिक्रम किया है, तो प्रबन्धतन्त्र द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् कार्य परिषद् द्वारा ऐसे महाविद्यालयों की मान्यता वापस ली जा सकेगी ।]

2 [(8) इस धारा में या धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी विश्वविद्यालय के, जिस पर यह धारा लागू होती हो, क्षेत्र में स्थित किसी सहयुक्त महाविद्यालय को ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये जायें, किसी ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा जिस पर धारा 37 लागू होती हो सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान किया जा सकेगा ।]

39-(1) कोई भी व्यक्ति, (केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरहित होगा, यदि वह अथवा उसका संबंधी ऐसे महाविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रदाय करने के लिए अथवा उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है ;

प्रबन्धतंत्र की सदस्यता लिये अनर्हता

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या महाविद्यालय के किसी छात्रनिवास या छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा महाविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी ।

स्पष्टीकरण:—पद "नातेदार" का वही अर्थ होगा जो उसकी धारा 20 के स्पष्टीकरण में दिया गया है ।

40-(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदेश दें, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के, जिसके अनतर्गत उसका भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी है और महाविद्यालय द्वारा संचालित या ली गई परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने अथवा ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में जांच कराने का अधिकार होगा ।

सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों के निरीक्षण आदि

(2) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का निश्चय करे तो वह उसकी सूचना प्रबन्धतंत्र को देगी और प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबन्धतन्त्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे तो महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबन्धतंत्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा, किन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच के समय महाविद्यालय की ओर से कोई विधि व्यवसायी न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों के उपस्थित होने के लिये तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिये मजबूर करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 2014 की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 1987 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

की सभी शक्तियाँ होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को 1[दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 480 तथा 482] के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी ।

(4) राज्य सरकार प्रबन्धतन्त्र को ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम संसूचित कर सकेगी और किये जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निदेश दे सकेगी और प्रबन्धतंत्र ऐसे निदेशों का तत्काल अनुपालन करेगा ।

(5) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन प्रबंधतंत्र को दी गयी किसी संसूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगा ।

(6) राज्य सरकार किसी समय संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र अथवा प्राचार्य से ऐसे निरीक्षण या जांच के संबंध में कोई जानकारी मांग सकेगी ।

41—(1) घटक महाविद्यालय वही होंगे जो परिनियमों द्वारा नामित किये जाएं ।

**घटक
महाविद्यालय**

(2) किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य, महाविद्यालय में नामावलिगत छात्रों के अनुशासन के लिये उत्तरदायी होगा और महाविद्यालय को आवंटित लिपिकवर्गीय तथा अवर कर्मचारिवृन्द पर साधारण नियंत्रण होगा । वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

42—(1) विश्वविद्यालय, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय को, जो इस निमित्त विहित शर्तों को पूरा करे, ऐसे महाविद्यालय में शिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा विहित अध्ययन पाठ्यक्रमों में, विहित रीति से परिवर्तन करने, तथा इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षा लेने का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगा ।

**स्वायत्त
महाविद्यालय**

(2) ऐसे महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने की सीमा तथा परीक्षा लेने की रीति प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित की जाएगी ।

(3) ऐसा कोई महाविद्यालय विहित रीति से स्वायत्त महाविद्यालय धोषित किया जाएगा ।

43—(1) विश्वविद्यालय, ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, ऐसे व्यक्तियों के लिये उपाधियों के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ जो ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिये अन्यथा पात्र हों, किन्तु जो व्यवसाय, व्यापार, कृषि या उद्योग में लगे होने अथवा किसी अन्य प्रकार की सेवा में नियोजित होने के कारण पूर्णकालिक छात्रों के रूप में नामावलिगत होने में असमर्थ हों, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय को श्रमजीवी महाविद्यालय के रूप में मान्यता दे सकेगा ।

**श्रमजीवी
महाविद्यालय**

(2) ऐसे छात्रों के लिये पाठ्यक्रमों की अवधि का विस्तार अन्य छात्रों के निमित्त पाठ्यक्रम के लिये विहित कालावधि के डेढ़ गुने से कम नहीं होगा ।

(3) प्रत्येक ऐसा पाठ्यक्रम पृथक् रूप से संगठित किया जायगा ।

44—विश्वविद्यालय किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के संगठन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा ।

संस्थान

1. कृपया दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2, 1974) की सुसंगत धारायें देखें।

अध्याय – 8

प्रवेश तथा परीक्षायें

45-(1) कोई भी छात्र किसी भी उपाधि के अध्ययन पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश छात्रों का प्रवेश पाने के लिये पात्र न होगा जब तक कि ---

(क) उसने ---

(i) उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड की अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इण्टर मीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हों ;

(ii) कोई ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो या किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ऐसी कोई उपाधि प्राप्त न कर ली हो जो ऐसी परीक्षा या उपाधि हो जिसे विश्वविद्यालय ने इण्टरमीडिएट परीक्षा या विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के बराबर मान्यता दी हो ; और

(ख) वह ऐसी अतिरिक्त अर्हताएं, यदि कोई हों, रखता हो जो अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जाएं ;

परन्तु विश्वविद्यालय ललित कला की किसी उपाधि के लिये प्रवेश की न्यूनतर अर्हताएं अध्यादेशों द्वारा विहित कर सकेगा ।

(2) वे शर्तें जिनके अधीन छात्र विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकेंगे, अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी ।

(3) विश्वविद्यालय को (किसी उपाधि या अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के प्रयोजनार्थ), किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को अपनी उपाधि के समतुल्य अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा को, किसी भारतीय विश्वविद्यालय की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता देने की शक्ति होगी ।

(4) किसी ऐसे छात्र को, जिसका काम अथवा आचरण असमाधानप्रद हो, विश्वविद्यालय या संस्थान या घटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार हटाया जा सकेगा ।

46-सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से अध्यादेशों में अधिकथित दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा ।

महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक

2 [46-क-जहां किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां

महाविद्यालयों को अंशदान और दान

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 05, 1977 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेंगा जिसके लिये वह महाविद्यालय को दिया गया और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय की दशा में कोई नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा ।]

47-(1) यह धारा लखनऊ, 1[x x x] गोरखपुर विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पर लागू होगी ।

(2) विश्वविद्यालय के छात्रनिवास या छात्रावास वही होंगे जो ---

(क) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित तथा परिणियमों में नामित हो ;

(ख) कार्य परिषद् द्वारा ऐसी साधारण या विशेष शर्तों पर जो अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित की जायें, मान्यता प्राप्त हों ।

(3) छात्रनिवासों तथा छात्रावासों के वार्डन और अन्य कर्मचारिवृन्द अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे ।

(4) कार्य परिषद् को किसी ऐसे छात्रनिवास या छात्रावास की जो उपधारा (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पोषित न हों, मान्यता को निलम्बित करने या वापस लेने की शक्ति होगी ;

परन्तु ऐसे छात्रनिवास या छात्रावास के प्रबन्धतंत्र को प्रस्थापित कार्यवाही के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिये बिना कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

(5) विश्वविद्यालय के ऐसे छात्रों के लिये, जो किसी घटक महाविद्यालय या छात्र निवास में अथवा उसकी देख-रेख में नहीं रहते हैं, निवास-स्थान, स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी इन्तजाम का पर्यवेक्षण करने के लिये एक अनिवासी छात्र केन्द्र होगा । निवासी छात्र केन्द्र का गठन शक्ति तथा कर्तव्य परिणियमों द्वारा विहित किये जायेंगे ।

48-इस अधिनियम और परिणियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन के लिये इन्तजाम करने का निदेश देगी ।

अध्याय - 9

परिणियम, अध्यादेश तथा विनियम

49-इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिणियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिये उपबन्ध किये जायेंगे ---

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य सभी विषय जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

2[(घ) सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण और उनको भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी

विश्वविद्यालय के छात्र- निवास, छात्रावास तथा अनिवासी छात्र केन्द्र

परीक्षाएं

परिणियम

1. इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 26, 2005 पारित होने के कारण) शब्द 'इलाहाबाद' हटाया गया ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 05, 1977 की धारा 16 (1) द्वारा अन्तर्विष्ट तथा सदैव से अन्तर्विष्ट किये गये समझे जायेंगे ।

सम्मिलित हैं) उनके द्वारा विद्या सम्बन्धों अपनी वार्षिक रिपोर्ट का अनुरक्षण, उनके द्वारा अनुपालनीय आवरण, नियम और उनको उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमें अनिर्वा सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित उपलब्धि भी सम्मिलित हैं) ;]

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिये पेंशन या भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना ;

(छ) उपाधियां तथा डिप्लोमा संस्थित करना ;

(ज) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(झ) उपाधियां और डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लेना ;

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और पुनःसंगठन ;

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना ;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्रनिवासों तथा छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और पुनःसंगठन ;

(ड) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान किया जाय और वे शर्तें जिनके अधीन कोई ऐसा विशेषाधिकार वापस लिया जा सके ;

(ढ) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को मान्यता प्रदान करना ;

1[(ण) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या, न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव, उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमें सेवा-निवृत्त की आयु और अनिवार्य सेवा-निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं, और उनके सेवा अभिलेख रचना और अनुरक्षण ;]

(त) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना ;

(थ) स्नातकों के रजिस्ट्रीकरण की अर्हताएं, शर्तें और रीति और रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना ;

(द) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो, करना ; और

(ध) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे ।

50-(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में, जब तक प्रथम परिनियम इस प्रकार न बनाये जाएं, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त परिनियम, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिबर्धन जो आवश्यक या समीचीन हो, के रूप में हो, और जिसको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 1977 की धारा 16 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किया जाय, प्रवृत्त बने रहेंगे तथा ऐसे अनुकूलनों या उपान्तरों पर आपत्ति नहीं उठाई जाएगी ।

1[(1-क) राज्य सरकार 2[31 दिसम्बर, 1990 तक], किसी समय प्रथम परिनियम को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधित कर सकेगी, चाहे वह परिवर्तन, प्रतिस्थापन या लोप के रूप में हों, और कोई ऐसा संशोधन ऐसे भूतलक्षी दिनांक से हो सकेगा जो इस प्रकार प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का न हो ।]

3[(1-ख) इस धारा के अधीन पूर्वाचल विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली के बनाये जाने तक, उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किये जायें इस पर लागू होंगे ।]

4[(1-ग) जब तक कि इस धारा के अधीन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम न बना लिये जायें, गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें ।]

(1-घ) जब तक कि इस धारा के अधीन इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रथम परिनियम न बना लिये जायें, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के परिनियम, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें ।]

5 [(1-ङ) जब तक कि इस धारा के अधीन जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के प्रथम परिनियम न बना लिये जायें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी के परिनियम जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें ।]

6 [(1-च) जब तक कि इस धारा के अधीन सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबन्धित करे ।]

(1-छ) जब तक कि इस धारा के अधीन 7 [महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़] की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबन्धित करे ।]

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 15 (1) द्वारा रखी गयी ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 09, 1988 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 1987 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2013 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 2016 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 06, 2019 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 3(क) द्वारा बढ़ाया गया ।

1 [(1-ज) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन 2 [राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़] के प्रथम अध्यादेश, न बना लिये जायं, तब तक डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्याधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबंध करे]]

3 [(1-झ) जब तक कि इस धारा के अधीन 4 [माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर] की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की परिनियमावली, जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्याधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(1-ञ) जब तक कि इस धारा के अधीन 5 [माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर] की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्याधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।”

“(1-ट) जब तक कि इस धारा के अधीन 6 [गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद] की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्याधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।]

7 [(2) कार्य-परिषद्, 8 [31 दिसम्बर, 1990 तक] किसी समय, नये या अतिरिक्त अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) अथवा उपधारा (1-क) में निद्रिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी]]

(3) कार्य-परिषद् किसी ऐसे परिनियम के प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी, जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार राय लिखित रूप में होगी तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर और विचार करने के लिये कार्य-परिषद् को भेज सकेगा ।

(5) कार्य-परिषद् द्वारा पारित कोई परिनियम उस तारीख से, जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाए अथवा ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रभावी होगा ।

1 [(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार,

-
1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 2019 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
 2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
 3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 2023 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
 4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 3(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।
 5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 3(घ) द्वारा बढ़ाया गया ।
 6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 3(ङ) द्वारा बढ़ाया गया ।
 7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 15(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
 8. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1988 की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

अध्यापकों की अर्हताओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किए गये, किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये, कार्य परिषद् या उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिणयों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य परिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त परिणयम बना सकती है या उपधारा (1) या उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिणयों का संशोधन या निरसन कर सकती है ।

(7) कार्य परिषद् की राज्य सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनाये गये परिणयों को संशोधित या निरसित करने या ऐसे परिणयों से असंगत नये या अतिरिक्त परिणयम बनाने की शक्ति नहीं होगी ।]

51-(1) इस अधिनियम और परिणयों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगे जिनके लिये इस अधिनियम या परिणयों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जाएं । **अध्यादेश**

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामावलिगत होना और इस प्रकार बना रहना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिये अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्य-क्रम और विश्वविद्यालय की अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताएं ;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रविष्ट किया जायगा, तथा वे ऐसी उपाधियों तथा डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे ;

(घ) छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां, विद्या वृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्र-निवास और छात्रावासों के प्रबन्ध की शर्तें ;

(च) ऐसे छात्र निवास और छात्रावासों की, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित न हों, मान्यता और प्रबन्ध ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ;

(ज) पत्राचार पाठ्य-क्रमों तथा प्राइवेट अभ्यर्थियों से सम्बन्धित सभी विषय ;

(झ) 2[अभिभावक-शिक्षक एसोसिएशन की रचना ।]

(ञ) फीस जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजनार्थ ली जा सके ;

(ट) वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्रनिवास तथा छात्रावासों में शिक्षण देने के निमित्त अर्ह माना जाए ;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1995 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 05, 1977 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(व) परीक्षण निकायों, परीक्षकों, अनुसूचकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उसके कर्तव्य ;

(ख) परीक्षाओं का संचालन ;

(ग) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा भत्ता जिनके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं ;

(घ) अन्य सभी विषय, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किए जाने हों, अध्यादेशों द्वारा किए जाएं ।

52—(1) प्रत्येक विद्यमान विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश वहीं होंगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, प्रवृत्त हों ;

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

परन्तु ऐसे किन्हीं अध्यादेशों के उपबन्धों को इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार बनाने के लिए कुलाधिपति आदेश द्वारा अध्यादेश में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्तन के रूप में हों, कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक या समीचीन हो और उपबन्ध कर सकेगा कि अध्यादेश ऐसी तारीख से जैसी आदेश में बनिर्दिष्ट की जाए, इस प्रकार किए गए अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगे, और किसी ऐसे अनुकूलन या उपान्तर पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी ।

(2) कुमायूं और गढ़वाल विश्वविद्यालय और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् स्थापित किए जाने वाले किसी अन्य विश्वविशालय के प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा बनाए जाएंगे ।

1[(2-क) उपधारा (2) के अधीन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश बनाये जाने तक, उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यादेश ऐसे अनुकूलनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किये जायें, इस पर लागू होंगे ।]

2[(2-ख) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जायें, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यादेश, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें ।

(2-ग) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जायें, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के अध्यादेश, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें ।]

3 [(2-घ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जायें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी के अध्यादेश जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानिक किये जायें ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 1987 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2013 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2013 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

1[(2-ड) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर के प्रथम अध्यादेश, न बना लिये जायें, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यादेश इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से उपबंधित किये जायें।

(2-च) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन 2[महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़] के प्रथम अध्यादेश, न बनवा लिये जायें, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यादेश इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से उपबंधित किये जायें।

3[(2-छ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन 4[राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़] के प्रथम अध्यादेश, न बना लिये जायें, तब तक डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यादेश इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबंध करे।]

5[(2-ज) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन 6[माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर] के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यादेश इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(2-झ) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन 7[माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर] के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यादेश इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(2-ञ) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन 8[गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद] के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यादेश इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(3) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कार्य-परिषद् समय-समय पर नए अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकेगी ;

परन्तु ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जाएगा —

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 2019 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 2019 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 4(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 2023 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 4(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 4(घ) द्वारा बढ़ाया गया।
8. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 4(ङ) द्वारा बढ़ाया गया।

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षाएं अथवा विश्वविद्यालय की उपाधि पाठ्य-क्रम में प्रवेश के लिए धारा 45 की उपधारा (1) में वर्णित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करें, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो ;

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं का किसी पाठ्य-क्रम के संचालन या स्तर पर पड़े जब तक कि वह सम्बद्ध संकाय या संकायों की प्रस्थापना के अनुसार न हों, या जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो, या

(ग) जिससे कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो ।

(4) कार्य-परिषद् की उपधारा (3) के अधीन विद्या 1—परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे विद्या-परिषद् को पूर्णतः अथवा भागतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेगी जिसका कार्य-परिषद् सुझाव दे ।

(5) कार्य-परिषद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा वह निर्देश दे और कुलाधिपति को यथाशक्य शीघ्र प्रस्तुत किए जायेंगे ।

(6) कुलाधिपति, किसी समय कार्य-परिषद् की उपधारा (3) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को अनुज्ञात करने को संशोधित कर सकेगा और कार्य परिषद् को ऐसे अनुज्ञात करने की सूचना प्राप्त होने की तारीख से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे ।

(7) कुलाधिपति यह निदेश दे सकेगा कि उपधारा (3) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिये निलम्बित रहेगा जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो । इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

53—(1) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या निकाय निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा —

विनियमन

(क) अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने ;

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों ; और

(ग) किसी ऐसे अन्य विषय का उपबन्ध करना, जिनका सम्बन्ध केवल ऐसे प्राधिकारी या निकाय से हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश में उपबन्ध न किए गए हों ।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाए गए विनियमों में, उसके सदस्यों को अधिवेशनों की तारीख की, और उनमें किए जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसे अधिवेशनों में किए जाने वाले काम-काज का अभिलेख रखने की व्यवस्था करेगा ।

(3) कार्य-परिषद् सभा से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गए किसी विनियम को रद्द कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तदनुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा ;

परन्तु यदि विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या निकाय का समाधान किसी ऐसे निदेश से न हो तो वह कुलाधिपति को अपील कर सकता है, जो कार्य परिषद् के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(4) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विद्या-परिषद् विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए विनियम सम्बन्धित संकाय के बोर्ड द्वारा उसके प्रारूप के प्रस्थापित किये जाने के पश्चात् ही बना सकेगा ।

(5) विद्या-परिषद् की उपधारा (4) के अधीन संकाय के बोर्ड द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप में संशोधन उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ और विचार करने के लिये वापस कर सकेगी ।

अध्याय - 10

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

54-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेशाधीन तैयार की जाएगी और उसे सभा को उसके वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जायगा और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी ।

वार्षिक रिपोर्ट

(2) सभा संकल्प द्वारा ऐसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकेगी ओर उसे कार्य-परिषद् को संसूचित करेगी, जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे ।

55-(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा तुलन-पत्र कार्य-परिषद् के निदेशाधीन तैयार किए जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धन और ऐसी रकमें, जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखी गई लेखा में प्रविष्ट की जायेंगी ।

लेखा तथा
संपरीक्षा

(2) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी जो उनकी संपरीक्षा कराएगी ।

(3) वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र की सम्परीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायगा और उनकी प्रतियां संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों सहित कार्य-परिषद् द्वारा सभा तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी ।

(4) कार्य-परिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो वांछित की जाए आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी ।

(5) व्यय की प्रत्येक नई मद, जो यथाविहित रकम से अधिक हो जिसे बजट में सम्मिलित करने की प्रस्थापना हो, कार्य-परिषद् द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायगी जो उस पर अपनी सिफारिशें कर सकेंगी ।

(6) कार्य-परिषद्, जो वित्त समिति की सिफारिशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी ।

(7) वार्षिक लेखा तुलन-पत्र तथा सम्परीक्षा रिपोर्ट पर सभा अपनी वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी और सभा उसके सम्बन्ध में संकल्प द्वारा सिफारिशें कर सकेगी और उसे कार्य-परिषद् को संसूचित करेगी ।

(8) कुलपति या कार्य-परिषद् द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत करना वैध न होगा—

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या जो बजट मंजूर होने के पश्चात् राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को अनुदत्त निधियों की दशा में, ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो ;

परन्तु धारा 13 की उपधारा (7) में किसी बात के होते हुए भी, अग्निकांड, बाढ़, अति-वृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति पांच हजार से अधिक ऐसा अनावर्ती व्यय उपगत कर सकेगा जो बजट में मंजूर हो ऐसे और सभी व्यय की सूचना वह अविलम्ब राज्य सरकार को देगा ।

(ख) जो 1[इस अधिनियम के अधीन तात्पर्यित कुलाधिपति या राज्य सरकार के किसी आदेश] का विरोध करने के लिए किसी मुकदमें के सम्बन्ध में हो ।

2 [55-क-(1) धारा 9 के खण्ड (ग) से (झ) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकांश विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अतिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अगचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हो ।

अधिभार

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति होगी जैसी विहित की जाय ।

अध्याय — 11

उपाधि महाविद्यालयों का विनियमन

56—इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

परिभाषायें

(क) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में "सम्पत्ति" के अन्तर्गत महाविद्यालय की समस्त सम्पत्ति आती है, चाहे जंगम हों और स्थावर, जो उस महाविद्यालय से सम्बन्धित हो या उस महाविद्यालय के फायदे के लिये पूर्णतः या भागतः विन्यासित हो और जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन (छात्रावासों सहित), संकर्म, पुस्तकालय, प्रयोगशाला उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, स्टोर, स्वचालित यान और अन्य यान, यदि कोई हो, और महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य चीजें, हाथ की रोकड़, बैंक नकदी, विनिधान और वही ऋण और ऐसी सम्पत्ति जो महाविद्यालय के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो, से उद्भूत ऐसे सभी अन्य अधिकार और हित और समस्त लेखाबहियां, रजिस्टर और तत्सम्बन्धी किसी भी प्रकार की अन्य दस्तावेजें हैं तथा महाविद्यालय के सभी अस्तित्वयुक्त उपधार और किसी भी प्रकार के दायित्व और बाध्यताएं भी इसके अन्तर्गत समझी जाएंगी ।

(ख) "वेतन" से उपलब्धियों का जोड़ अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत अध्यापक या अन्य कर्मचारी को अनुरोध कटौतियां करने के पश्चात् तत्समय सेदये मंहगाई-भत्ता या कोई अन्य भत्ता है ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1978 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उपर्युक्त की धारा 6 द्वारा अन्तर्विष्ट ।

57—यदि राज्य सरकार को किसी सम्बन्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है—

सूचना जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

(i) कि उसके प्रबंध-तंत्र ने महाविद्यालय के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों को उस मास के, जिसके सम्बन्ध में या जिसके भाग के सम्बन्ध में वेतन संदेय है, अगले मास के बीसवें दिन तक वेतन का संदाय करने में जानबूझकर बार-बार व्यतिक्रम किया है ; या

(ii) कि उसका प्रबंध-तंत्र ऐसी अर्हताओं वाले, जो महाविद्यालय के सम्बन्ध में विद्या सम्बन्धी स्तरों को सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है, अध्यापक नियुक्त करने में असफल रहता है, अथवा 1[उसने परिणियमों या अध्यादेशों के उल्लंघन में किसी अध्यापक को नियुक्त किया है या सेवा में रखा हुआ है ; या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के अधीन उ0 प्र0 उच्चतर शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है; या]

(iii) कि ऐसे किसी विवाद न जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इस अधिकार के बारे से है कि वे उसके प्रबंध-तंत्र के विधिपूर्ण पदाधिकारी है, महाविद्यालय के सुचारु और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव डाला है ; या

(iv) कि उसका प्रबंध-तंत्र महाविद्यालय को ऐसे पर्याप्त और उचित आवास, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, प्रयोगशाला, उपस्कर और अन्य सुविधायें जो महाविद्यालय के दक्ष प्रशासन के लिये आवश्यक है, की व्यवस्था करने में बार-बार असफल रहा है ; या

(v) कि उससे प्रबंध-तंत्र महाविद्यालय की सम्पत्ति या सारवान रूप से इस प्रकार परिवर्तन, दुरुपयोजन या दुर्विनियोजन किया है जिससे महाविद्यालय को अहित हो, तो वह प्रबंध-तंत्र से यह कारण दर्शित करने की मांग कर सकेगी कि धारा 58 के अधीन आदेश क्यों न किए जाएं ;

परन्तु जहां यह विवाद हो कि प्रबंध-तंत्र के पदाधिकारी कौन है, तो ऐसी सूचना उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाएगी जो ऐसा होने का दावा करते हैं ।

58—(1) यदि धारा 57 के अधीन प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि उस धारा में वर्णित कोई आधार विद्यमान है तो वह आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) इस बात के लिये प्राधिकृत कर सकेगी कि वह महाविद्यालय और उसकी सम्पत्ति का प्रबंध दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जो विनिर्दिष्ट की जाए अपने हाथ में ले ले ओर यह प्रबंध-तंत्र को अपवर्जित करके होगा और जब कभी प्राधिकृत नियंत्रक प्रबंध को इस प्रकार अपने हाथ में लेता है तब उन निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार अधिरोपित करे, उसे महाविद्यालय तथा उसकी सम्पत्ति के प्रबंध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियां और प्राधिकार होंगे जैसा कि प्रबंध-तंत्र को उस समय होता जब कि महाविद्यालय और उसकी सम्पत्ति इस उपधारा के अधीन हाथ में नहीं ली गई होती ;

प्राधिकृत नियंत्रक

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1998 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि महाविद्यालय और उसकी संपत्ति का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित बनाए रखने के लिये ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर इस आदेश के प्रवर्तन का विस्तार ऐसी अवधि के लिये जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो, यथा विनिर्दिष्ट रूप में कर सकेगी किन्तु इस प्रकार के आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत इस उपधारा के अधीन प्रारम्भिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी है, 1[पांच वर्ष] से अधिक न हो ;

2 [परन्तु यह और कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर महाविद्यालय का कोई विधिपूर्वक गठित प्रबन्धतन्त्र न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक इस रूप में कार्य करता रहेगा, जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाय कि प्रबन्धतन्त्र का विधिपूर्वक गठन हो गया है ;

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार इस उपधारा के अधीन दिये गये किसी आदेश को, किसी भी समय, प्रतिसंहत कर सकती है ।]

(2) धारा 57 के अधीन सूचना जारी करते हुए जब राज्य सरकार की राय अभिलिखित कारणों से यह हो कि महाविद्यालय के हित में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह प्रबन्ध-तंत्र को निलम्बित कर सकेगी जो तदुपरान्त कृत्य नहीं करेगा और महाविद्यालय तथा उसकी संपत्ति के कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिये अग्रेतर कार्यवाहियों के पूरा होने तक ऐसा प्रबन्ध करेगी जैसा कि वह ठीक समझे ;

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से जबकि ऐसे आदेश के अनुसरण में प्रबन्ध-तन्त्र को वास्तव में हाथ में लिया जाता है, छः मास से अधिक के लिये प्रवृत्त नहीं रहेगा ;

परन्तु यह और कि उक्त छः मास की अवधि को संगणना करने में वह समय जिसके दौरान यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा निलम्बित रहा था या कोई अवधि, जिसके दौरान प्रबन्ध-तंत्र धारा 57 के अधीन सूचना के अनुसरण में कारण दर्शित करने में असफल रहा था, अपवर्जित कर दी जायगी ।

(3) उपधारा (1) में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह प्राधिकृत नियंत्रक को महाविद्यालय की किसी स्थावर संपत्ति का अन्तरण करने (प्रबन्ध करने के साधारण अनुक्रम में मासानुमास किराए पर दिए जाने के सिवाय) या उस पर कोई प्रभाव सृजित करने की (राज्य सरकार या भारत सरकार से महाविद्यालय को किसी सहायता अनुदान की प्राप्ति की शर्त के सिवाय) शक्ति प्रदान करती है ।

(4) इस धारा के अधीन किया गया कोई ओदश महाविद्यालय के या उसकी संपत्ति के प्रबन्ध और नियंत्रण से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति या किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगा ;

परन्तु महाविद्यालय की संपत्ति और उससे कोई आय महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार किया जाता रहेगा जैसा कि किसी ऐसे लिखत में उपबन्धित हो ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 04, 1983 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 04, 1983 की धारा 2(ख) परन्तुक द्वारा बढ़ाया गया ।

(5) शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) का निदेशक प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकेगा जिन्हें वह महाविद्यालय या उसकी संपत्ति के उचित प्रबन्ध के लिये आवश्यक समझे और प्राधिकृत नियंत्रक उन निदेशों का पालन करेगा ।

59-धारा 58 की कोई बात किसी ऐसे महाविद्यालय को लागू न होगी जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित हो ।

अल्प संख्यक वर्ग वाली महाविद्यालयों की धारा 58 का लागू न होना प्राधिकृत नियंत्रक की संपत्ति का कब्जा परिदत्त करने का कर्तव्य

60-(1) जहां किसी महाविद्यालय के संबंध में धारा 58 के अधीन आदेश पारित किया गया हो तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे या अभिरक्षा या नियन्त्रणाधीन महाविद्यालय की कोई संपत्ति है, वह संपत्ति प्राधिकृत नियंत्रक को तत्काल परिदत्त कर देगा ।

(2) कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस आदेश की तारीख पर महाविद्यालय या उसकी संपत्ति से संबंधित किसी बही या अन्य दस्तावेज पर कब्जा या नियन्त्रण रखता है, उक्त वही और अन्य दस्तावेजों का लेखा प्राधिकृत नियंत्रक को देने के लिये दायी होगा और उन्हें उसको या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगा ।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक कलेक्टर से महाविद्यालय या उसकी संपत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा और नियन्त्रण परिदत्त करने के लिये आवेदन कर सकेगा और कलेक्टर प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे महाविद्यालय या संपत्ति का कब्जा सुनिश्चित कराने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाएगा और विशिष्टतः यथावश्यक बल का प्रयोग कर सकेगा या कराएगा ।

अध्याय 11-क

उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन संदाय

60-क-इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों —

परिभाषायें

(1) "महाविद्यालय" से कोई ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उसे तत्समय राज्य सरकार से पोषण अनुदान मिलता हो (किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार या किसी 2[नगर महापालिका] द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय नहीं है ।)

(2) "उप निदेशक" से संभागीय शिक्षा उप निदेशक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अध्याय के अधीन उप-निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का संपादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(3) किसी महाविद्यालय के संबंध में "कर्मचारी" से ऐसे महाविद्यालय का अध्यापनेतर कर्मचारी अभिप्रेत है —

(क) जिसके नियोजन के संबंध में वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो ; या

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 1980 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) जो शिक्षा निदेशक (उच्चतर-शिक्षा) की अनुज्ञा से किसी पद पर नियुक्त किया गया हो ;

(4) "पोषण-अनुदान" से किसी महाविद्यालय का ऐसा सहायक अनुदान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार उस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस महाविद्यालय के स्तर के लिये समुपयुक्त पोषण अनुदान मामले के लिये निदेश दें ;

(5) "वेतन" का वही अर्थ होगा जो धारा 56 "के खण्ड (ख) में उसके लिये दिया गया है ;

(6) किसी महाविद्यालय के संबंध में, "अध्यापक" से ऐसा अध्यापक अभिप्रेत है जिसके नियोजन के संबंध में वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो, अथवा जो ---

(क) सम्बद्ध कुलपति की अनुज्ञा से 1 अप्रैल, 1975 के पूर्व सृजित किसी पद पर ; या

(ख) शिक्षानिदेशक (उच्चतर-शिक्षा) की अनुज्ञा से 31 मार्च, 1975 के पश्चात् सृजित किसी पद पर,

सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमोदन से नियोजित हो ।

60-ख-(1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, 31 मार्च, 1975 के पश्चात् किसी कालावधि के संबंध में किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का संदाय उस मास के जिसे लिये या जिसके किसी भाग के संबंध में वह देय हो, अनुवर्ती मास की बीसवीं तारीख की समाप्ति के पूर्व या उससे ओर पहले ऐसी तारीख को जैसा राज्य सरकार सामान आदेश द्वारा उस निमित्त नियत करे, उसे किया जायगा ।

समय के भीतर
और अप्राधिकृत
कटौतियाँ किए
बिना वेतन का
भुगतान

(2) सिवाय उन कटौतियों के जो इस अधिनियम, परिनियमों, या अध्यादेशों, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो, वेतन का संदाय किसी भी प्रकार की कटौतियों के बिना किया जायगा ।

60-ग-(1) उप निदेशक किसी समय इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये किसी महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगा अथवा निरीक्षण करवा सकेगा या उसके अध्यापकों अथवा कर्मचारियों के वेतन के संदाय के संबंध में उसके प्रबन्ध-तन्त्र से ऐसी सूचना तथा अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा-बहियाँ तथा वाउचर भी हैं) मांग सकेगा अथवा वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धान्तों के अनुपालन के लिये उसके प्रबन्ध-तन्त्र को कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी की छटनी करने अथवा किसी अपव्ययकारक व्यय के प्रतिषेध के लिये कोई निदेश भी है) दे सकेगा जिसे वह उचित समझे ।

निरीक्षण करने
की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन छटनी के लिये प्रत्येक निदेश, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् जारी किया जायगा और उसमें ऐसा भावी दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब से ऐसी छटनी प्रवृत्त होगी ।

(3) जहाँ उपधारा (1) तथा (2) के अनुसार छटनी के लिये कोई निदेश जारी किया जाय, वहाँ सम्बद्ध अध्यापक अथवा कर्मचारी, इस अध्याय के अधीन संदेय पोषण अनुदान के प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से महाविद्यालय का अध्यापक अथवा कर्मचारी नहीं रह जायेगा ।

¹ [60-गग-कुलपति, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकता है कि ऐसा अध्यापक जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्व के किसी उत्तरदीय पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना ली एन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाए रख सकें और साथ ही अपने समनुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन वृद्धियां अर्जित कर सकें और भविष्य निधि में अंशदान कर सकें और सेवा-निवृत्ति के लाभ, यदि कोई हों, प्राप्त कर सकें ;

अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अवधि के लिए ऐसे अध्यापक को महाविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा ।]

60-घ-(1) प्रत्येक महाविद्यालय का प्रबन्ध-तंत्र अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन के संवितरण के प्रयोजनों के लिये, किसी अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक या डाकखाने में, एक पृथक लेखा (जिसे आगे इस अध्याय में "वेतन का लेखा" कहा गया है) खोलेगा, जिसे प्रबन्ध-तंत्र के एक प्रतिनिधि और उप निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो उप निदेशक द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप से चलाया जायगा ;

कतिपय महाविद्यालय की दशा में वेतन संदाय की प्रक्रिया

परन्तु वेतन संदाय लेखा खोले जाने के पश्चात्, यदि उपनिदेशक का, धारा 60-घ के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, यह समाधान हो जाय कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, तो वह बैंक की यह अनुदेश दे सकेगा कि लेखा अकेले प्रबन्ध-तंत्र के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जायगा और वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखण्डित कर सकेगा ।

परन्तु यह और कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट दशा में, अथवा जहां किसी अन्य दशा में प्रबन्धतंत्र की हेतु दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् उपनिदेशक की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो उप निदेशक बैंक को यह अनुदेश दे सकेगा कि वेतन संदाय लेखा केवल उप निदेशक द्वारा ही अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे वह उस निमित्त प्राधिकृत करे, चलाया जायगा और वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखण्डित कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार, समय-समय पर, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह छात्रों से फीस के रूप में प्राप्त धनराशि का ऐसा भाग और महाविद्यालय को या उसके लाभार्थ पूर्णतः या अंशतः धर्मास्वति किसी जंगम, या स्थावर संपत्ति से प्राप्त आय का ऐसा भाग भी, यदि कोई हो, ऐसी तारीख तक जिन्हें उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, वेतन संदाय लेखा में जमा करें, और तदुपरान्त प्रबन्धतंत्र ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा ।

(3) जहां, उप निदेशक की यह राय हो कि प्रबन्धतंत्र ने उपधारा (2) अथवा तदधीन जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार फीस नहीं जमा की है, वहां उप निदेशक, आदेश द्वारा, प्रबन्धतंत्र को छात्रों से कोई फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा और तदुपरान्त, उप निदेशक छात्रों से प्रत्यक्षतः (या तो महाविद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) फीस वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल की गयी फीस को वेतन संदाय लेखा में जमा करेगा ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 19 द्वारा अन्तर्विष्ट ।

(4) राज्य सरकार भी वेतन संदाय लेखा में पोषण-अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो, उपधारा (2) तथा (3) के अधीन जमा की गई धनराशि को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (5) के अनुसार संदाय करने के लिये आवश्यक हो ।

(5) वेतन संदाय लेखा में जमा धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायगा, अर्थात् :—

(क) 31 मार्च, 1975 के पश्चात् की किसी कालावधि के लिये महाविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को देय होने वाले वेतन के संदाय के लिये ;

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे में प्रबन्धतंत्र का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करने के लिये ।

(6) किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी का वेतन, वेतन संदाय लेखा से उसी बैंक में उसके लेखे में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, अथवा यदि उस बैंक में उसका लेखा न हो तब चेक द्वारा संदत्त किया जायगा ।

60-ड- 1 [(1) राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे पदों के विरुद्ध वेतन का संदाय करने के लिए दायी होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च, 1975 को या उसके पश्चात् सहायता अनुदान सूची में ले लिया गया हो ;

वेतन के सम्बन्ध में दायित्व

परन्तु प्रथमतः यह कि महाविद्यालय को सहायता अनुदान मंजूर करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी ने ऐसे पदों के विरुद्ध वेतन का संदाय, महाविद्यालय को सहायता अनुदान सूची में लिये जाने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर कर दिया हो ;

परन्तु द्वितीयतः यह कि किसी अनुदानित महाविद्यालय में पदों का सृजन उच्च शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार की अनुज्ञा से सहायता अनुदान सूची में लिये जाने के पश्चात् किया गया हो और जो 31 मार्च, 1975 के पश्चात् उच्च शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुमोदन से सम्यक् रूप से भरे गये हों ;

परन्तु तृतीयतः यह कि राज्य सरकार किसी ऐसे महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगी, जहां पदों के सृजन की अनुज्ञा उच्च शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस शर्त पर दी गयी हो कि अपने-अपने महाविद्यालय का प्रबंधतः इस प्रकार सृजित पदों के विरुद्ध वेतन के संदाय का दायित्व वहन करेगा ;

परन्तु चतुर्थतः यह कि ऐसे महाविद्यालयों के सम्बन्ध में, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कतिपय विषयों की सम्बद्धता, कुलाधिपति द्वारा स्ववित्तपोषण योजना के अधीन प्रदान की गयी हो, राज्य सरकार ऐसे पाठ्यक्रम में शिक्षण देने के संबंध में नियुक्त अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगी ।]

(2) राज्य सरकार कोई ऐसी धनराशि जिसके संबंध में उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई दायित्व उपगत हो, महाविद्यालय की अथवा उसमें निहित संपत्ति की आय को कुर्क करके वसूल कर सकेगी मानो वह धनराशि ऐसे महाविद्यालय द्वारा देय भू-राजस्व का बकाया हो ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 01, 2004 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) इस धारा को किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि इससे किन्हीं ऐसे देयों के संबंध में जो अध्यापक अथवा कर्मचारी को देय हो, महाविद्यालय के दायित्वों का अल्पीकरण होता है ।

60-च-(1) यदि धारा 60-ग के अधीन किसी निर्देश का या धारा 60-ख या धारा 60-घ के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यतिक्रम किये जाने के समय महाविद्यालय का प्रबन्धक था या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसमें उसके कार्यकाल का प्रबन्ध और संचालन करने का प्राधिकार निहित था जब तक कि वह यह न साबित कर दे कि व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने व्यतिक्रम के किये जाने का निवारण करने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी, धारा 60-ख के उपबन्धों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करने की दशा में कारावास जो छः मास तक हो सकेगा अथवा जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनो से दण्डनीय होगा ।

दण्ड, आस्तियां तथा प्रक्रिया

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उपनिदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का हो, किसी ऐसे अपराध का अन्वेषण प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा और न वारन्ट के बिना गिरफ्तार करेगा ।

(4) कोई भी न्यायालय, जो प्रथम वर्ग के मैजिस्ट्रेट से नीचे की पंक्ति का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

60-छ-इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा), उप निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

आदेश का अंतिम होना

60-ज-(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

(2) इस अध्याय के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य-शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि उसका सत्र हो रहा हो, कुल तीस दिन की कालावधि पर्यन्त जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद की तारीख नियत न की जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधानमण्डल के दोनो सदन उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा अभिशून्यन तद्धीन पहलें की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।¹

अध्याय - 12

शास्तियां तथा प्रक्रिया

61-(1) जो कोई धारा 46 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, सिद्धदोष होने पर ऐसी अवधि के लिये कारावास से जो तीन मास तक की हो सकती है या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, अथवा दोनो से दण्डनीय होगा ।

शास्तियां

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो —

(क) महाविद्यालय की कोई ऐसी सम्पत्ति का जिसके सम्बन्ध में धारा 58 के अधीन आदेश दिया गया था, कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण रखता है, ऐसी सम्पत्ति को उस धारा के अधीन नियुक्ति प्राधिकृत नियंत्रण से या उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति से दोषतः रखे रखता है ; या

(ख) ऐसे महाविद्यालय का किसी सम्पत्ति का कब्जा दोषतः अभिप्राप्त करता है ; या

(ग) कोई वही या अन्य दस्तावेज जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, प्राधिकृत नियंत्रक को या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट धारा 60 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करने में जानबूझ कर रोकता है या असफल रहता है, या

(घ) किसी व्यक्ति की इस अधिनियम उपबन्धों के सभी या किसी उपबन्ध का सम्यक् रूप से पालन करने में जानबूझ कर बाधा डालता है, सिद्ध दोष होने पर ऐसी अवधि के लिये कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा ;

परन्तु इस उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराते समय उसे यह आदेश दे सकेगा कि वह दोषतः रखी गई या दोषतः अभिप्राप्त किसी सम्पत्ति को या जानबूझ कर रखी गई किसी बही या अन्य दस्तावेज की न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर परिदत्त कर दे या वापस कर दे ।

62—कोई भी न्यायालय शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) के निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना धारा 61 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

न्यायालयों का संज्ञान

63—(1) यदि धारा 61 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति मोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी हो तो सोसाइटी और अपराध किए जाने के समय उसके कार बार के संचालन के लिए सोसाइटी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और वह तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिये दायी होगा;

रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों द्वारा अपराध

परन्तु इस उपधारा से किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का दायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि उसकी जानकारी के बिना अपराध किया गया था उसने ऐसे अपराध के लिये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध कर दिया जाता है कि ऐसा अपराध उस सोसाइटी के किसी सदस्य को सम्मति या मौनानुकलता से किया गया है या ऐसे अपराध का किया जाना सोसाइटी के किसी सदस्य की उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसा सदस्य भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिये दायी होगी ।

अध्याय — 13

प्रकीर्ण

64—(1) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिन्युक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में के सदस्य, यथासंभव, निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगे ।

प्राधिकारियों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता अथवा अन्य

अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिए कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और च्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होगी जो विहित की जाय।

(3) जहां इस अधिनियम में निर्वाचन के लिए कोई उपबन्ध किया गया हो तो ऐसा निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संचालित किया जायगा और जहां परिनियमों में निर्वाचन के लिए उपबन्ध किया गया है तो वह ऐसी रीति से होगा जैसी परिनियमों द्वारा उपबन्धित हो।

(4) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिए पात्र न होगा।

65—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायगी जिस रीति से वह सदस्य जिसको रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकारी अपने पद पर रहेगा, जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे। [* * *]

66—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय अथवा समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि —

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

(क) उसके कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन नाम—निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसका कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणा वगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

2 [66-क]—राज्य सरकार समय—समय पर किसी विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

67—सभा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ है जो सभा की राय में नैतिक अक्षमता संबंधित अपराध हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिये अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्ही आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गई कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र वापस ले सकती है।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 09, 1998 की धारा 6 द्वारा निकाला गया।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 01, 2004 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

68—यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय ¹ [(जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे परिनियम, अध्यादेश या विनियम जो राज्य सरकार या कुलाधिपति द्वारा निर्मित या अनुमोदित परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से संबंधित कोई प्रश्न भी है)] इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ;

कुलाधिपति को निर्देश

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश—

(क) उस तारीख के जब की प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात् ;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जाएगा ;

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में —

(क) पूर्वगामी परन्तुक में वर्णित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निर्देश ग्रहण कर सकेगा ;

(ख) जहां निर्दिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचन के बारे में किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे ;

(ग) 2[* * *]

³[**68-क**—(1) जहां सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने, या पकितच्युत करने या किसी अन्य रीति से उसे दण्ड देने या उसकी सेवा समाप्त करने के विनिश्चय का कुलपति ने अनुमोदन नहीं किया है या जहां इस अधिनियम के या धारा 74 द्वारा निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कुलपति ने ऐसे अध्यापक के निलम्बन के आदेश को स्थगित, प्रतिसंहत या उपान्तरित कर दिया है, और प्रबन्धतंत्र ने ऐसे अध्यापक के वेतन का जो कुलपति के आदेश के परिणामस्वरूप उसे देय हो गया है, भुगतान करने में व्यतिक्रम किया है, वहां कुलपति यह आदेश दे सकता है कि प्रबन्ध—तंत्र वेतन की उस राशि का भुगतान करे जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो तथा निलम्बन काल में, देय वेतन का 1/2 की दर से निलम्बन भत्ता, यदि भुगतान न किया गया हो, तो भुगतान करने के लिये भी प्रबन्ध—तंत्र को आदेश दे सकता है ।

प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध अपना

आदेश प्रवृत्त करने की कुलपति की शक्ति

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी मामले में, कुलपति सम्बन्ध अध्यापक की, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जैसा वह उचित समझे, बहाली का भी आदेश दे सकता है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कुलपति के किसी आदेश में भुगतान के लिए अपेक्षित वेतन या निलम्बन भत्ता की धनराशि कुलपति द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण—पत्र पर, कलेक्टर द्वारा भू—राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायगी ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 10 द्वारा रखे गये ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 20 द्वारा निकाला गया ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 21 द्वारा बढ़ाया गया ।

(4) उपधारा (2) के अधीन कुलपति का प्रत्येक आदेश क्षेत्रीय अधिकारितायुक्त निम्नतम सिविल न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा, मानों वह उस न्यायालय की डिफ्री हो।

(5) किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिसके लिए इस धारा के अधीन कुलपति द्वारा अनुतोष दिया जा सकता है, किसी प्रबन्धतन्त्र या अध्यापक के विरुद्ध कोई वाद ग्राह्य नहीं होगा।]

1[69—राज्य सरकार या शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) या उप निदेशक (जैसा धारा 60—क में परिभाषित है) या प्राधिकृत नियंत्रक या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गए नियमों या परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिये न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाहियां की जा सकेंगी।]

वाद का वर्जन

70—(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जाएगी जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

विश्वविद्यालय के अभिलेख की सिद्ध करने की रीति

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जाएगी, जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे।

अध्याय — 14

संक्रमणकालीन उपबन्ध

71—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व तारीख को किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं निबंधन तथा शर्तों पर अपने पदावधि की समाप्ति तक पद धारण किए रहेगा।

विश्वविद्यालय से वर्तमान अधिकारियों का बना रहना

2[72—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी यथाशीघ्र, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठित किया जायगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, ऐसे प्राधिकारी के एक सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से ऐसा सदस्य नहीं रह जाएगा।]

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 11 द्वारा रखा गया।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 12 (क) द्वारा रखी गयी और सदैव से रखी गयी समझी जाय।

(2) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का गठन न किया जाय, राज्य सरकार आदेश द्वारा यह समय-समय पर निदेश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य तथ्य अथवा निर्वाहन योग्य शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अथवा निर्वाहन किसके द्वारा और किस रीति से किया जाएगा ;

1[परन्तु ऐसा कोई निदेश 2[31 दिसम्बर, 1981] के पश्चात् नहीं दिया जाएगा ।]

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 की धारा 67 की उपधारा (2) के अनुसरण में गठित प्रशासनिक समितियां और विद्या समितियां 15 सितम्बर, 1973 को विघटित उन बातों के सिवाय हो जाएंगी जो उन्होंने उस तारीख से पूर्व किया था या उनके किए जाने में लोप किया था किन्तु इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को उस तारीख से उपधारा (2) के अधीन कोई ऐसी कार्यवाही करने से, जिसे वह ठीक समझे, प्रवासरित करने वाली नहीं समझी जायेगी ।

3[72-क-इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी —

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो काशी विद्यापीठ के विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के ठीक पूर्व की तारीख को (कुलाधिपति से भिन्न) उसके किसी अधिकारी के रूप में पद धारण कर रहा हो, अवधि के सिवाय, उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर, तब तक जब तक कि खण्ड (ख) के अधीन नई नियुक्तियां न कर दी जायें, इस रूप में उसी प्रकार पद धारण करता रहेगा जिन पर कि उक्त तारीख को धारण कर रहा था ;

(ख) इस धारा के प्रारम्भ होने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य सरकार (कुलाधिपति से भिन्न) उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी और उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरित प्राधिकारियों का गठन ऐसी रीति से करेगी जिसे वह उचित समझे, ऐसा होने पर खंड (क) में निर्दिष्ट तत्सम अधिकारी पद पर न रह जायेंगे और तत्सम प्राधिकारियों का तत्काल विघटन हो जाएगा ;

4[(ग) खंड (ख) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य 5[31 दिसम्बर, 1981] तक या खण्ड (घ) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारीकरणों का गठन होने तक जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे ;]

6[(घ) खंड (ख) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य 31 दिसम्बर, 1978 तक या खण्ड (घ) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे ;]

7[72-ख-दिनांक 25 अप्रैल, 1989 से इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनिचत संलेख या तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि में, या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में, गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश समझा जायगा ।]

काशी विद्यापीठ
के संबंध में
अस्थायी उपबन्ध

गढ़वाल
विश्वविद्यालय के
नाम में परिवर्तन
पर
संक्रमणकालीन
व्यवस्था

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 12 (ख) द्वारा रखा गया और सदैव से रखा गया समझा जायगा ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 1980 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 16 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1978 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 1980 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 16 द्वारा बढ़ाया गया ।
7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 26, 1989 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

- 1 [72-ग-दिनांक 17 जनवरी, 1994 से इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि में, या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में, गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के प्रति निर्देश समझा जायेगा ।]
- मेरठ विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन पर संक्रमणकालीन व्यवस्था
- 2 [72-घ-(1) 18 जून, 1994 से इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि में या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में अवध विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को डाक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, अयोध्या के प्रति निर्देश समझा जायेगा ।]
- अवध विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध
- 3 [(2) 11 जुलाई, 1995 से इस अधिनियम या किन्हीं "नियमों", "परिनियमों" अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में अवध विश्वविद्यालय अथवा डा० राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, अयोध्या के किसी भी संदर्भ को डा० राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, अयोध्या के संदर्भ के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा ।]
- 4 [72-ङ-11 जुलाई, 1995 से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में काशी विद्यापीठ के किसी भी संदर्भ को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अर्थ में अर्थान्वित किया जायेगा ।]
- काशी विद्यापीठ के नाम में परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध
- 5 [72-च-(1) 24 सितम्बर, 1995 से, इस अधिनियम या किन्हीं अधिनियम या किन्हीं अन्य नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में आगरा विश्वविद्यालय एवं कानपुर विश्वविद्यालय के संदर्भ में क्रमशः 6[डा० भीमराव 7[आंबेडकर] विश्वविद्यालय, आगरा और श्री शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के संदर्भ में अर्थान्वित किया जायेगा ।]
- आगरा और कानपुर विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध
- 8 [(2) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के के दिनांक से, इस अधिनियम या किसी अन्य नियम, परिनियम, अध्यादेश परिनियम, संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में कानपुर विश्वविद्यालय या श्री शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रति किसी निर्देश को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रति निर्देश समझा जायेगा ।]
- 9 [72-छ-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक से इस अधिनियम, या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी दस्तावेज या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में गोरखपुर विश्वविद्यालय और रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को क्रमशः दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर और महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के
- गोरखपुर विश्वविद्यालय और रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के नामों में परिवर्तन पर संक्रमणकालीन व्यवस्था

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1994 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 1994 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1996 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1996 की धारा 11(क) द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1996 की धारा 11(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 2018 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1997 की धारा 4 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
9. उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 1997 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

प्रति निर्देश समझा जायेगा ।]

¹[72-ज-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ प्रारम्भ के दिनांक से इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में पूर्वाचल विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के प्रति निर्देश समझा जायेगा ।]

पूर्वाचल विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन व्यवस्था

²[72-झ-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा जिला चन्दौली, मिर्जापुर संत रविदास नगर, सोनभद्र, वाराणसी और बलिया के परीक्षा केन्द्रों से वर्ष 2008 की स्नातक भाग-1 या स्नातकोत्तर भाग-1 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की गयी थी और जिसे परीक्षाफल में सफल घोषित किया गया है, वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के दौरान उपर्युक्त जिलों के परीक्षा केन्द्रों से उक्त विश्वविद्यालय की, यथास्थिति, स्नातक भाग-2 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी और ऐसे परीक्षाफल के आधार पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान-1 की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जायेगी ।]

वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के कतिपय छात्रों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

³[72-ञ-लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जिसे छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा जिला लखनऊ के परीक्षा केन्द्र से वर्ष 2008 की स्नातक भाग-1 या स्नातकोत्तर भाग-1 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की गयी थी और जिसे परीक्षाफल में सफल घोषित किया गया है, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के दौरान जिला लखनऊ के परीक्षा केन्द्र से उक्त विश्वविद्यालय की यथास्थिति स्नातक भाग-2 तथा स्नातक भाग-3 या स्नातकोत्तर भाग-दो की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी और ऐसे परीक्षाफल के आधार पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जायेगी ।]

73-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को विशिष्टतः धारा 74 द्वारा निरसित अधिनियमों के उपबंधों से इस अधिनियम के उपबंधों के संक्रमण के संबंध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसे कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

परन्तु ⁴[31 दिसम्बर 1982] के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी अन्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा

-
1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, 1999 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
 2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 2009 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
 3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 06, 2009 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
 4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 25, 1982 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

74—(1) निम्नलिखित अधिनियमितियां एतद्वारा क्रमशः उन तारीखों से निरसित की जा रही हैं जिन तारीखों को यह अधिनियम विद्यमान सम्बद्ध विश्वविद्यालय के संबंध में प्रवृत्त किया गया है —

कतिपय
अधिनियमितियों
का निरसन

- (क) लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 ;
- (ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1921 ;
- (ग) आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926 ;
- (घ) गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 ;
- (ङ) वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1956 ; और
- (च) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1965 ।

1[(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, —

(क) किसी ऐसी अधिनियमिति के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, जारी किये गये आदेश, प्रदत्त उपाधियों या डिप्लोमा अथवा जारी किये गये प्रमाण-पत्र, मंजूर किये गये विशेषाधिकार अथवा की गयी कोई अन्य बाते (जिनके अन्तर्गत स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण भी है) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन क्रमशः की गयी, जारी किये गये, प्रदत्त, मंजूर किये गये या की गई समझी जायगी, और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश द्वारा अधिकांत न कर दिये जायें प्रवृत्त बनी रहेंगी ;

(ख) चयन समितियों की ऐसी सभी कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुई तथा ऐसी चयन समितियों की संस्तुतियों के सम्बन्ध में, यथास्थिति, प्रबन्धतंत्र या कार्य परिषद् द्वारा की गई सभी कार्यवाहियों, जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उनके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश न दिया गया हो, इस बात के होते हुए भी कि चयन की प्रक्रिया में इस अधिनियम द्वारा परिष्कार कर दिया गया है, विधिमान्य समझी जायेंगी, किन्तु ऐसे विचाराधीन चयन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी और उसी प्रक्रम से जारी रखी जायेगी जहां वे ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी ।]

(3) इस अधिनियम की उपधारा (1) और उपधारा (2) या किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी—

(क) 2[x x x x]

(ख) 3[x x x x]

(ग) जहां किसी संस्था ने आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने के लिये आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926 के उपबन्धों के अनुसार 18 जून, 1973 से पूर्व आवेदन

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 13 (i) द्वारा रखी गयी और सदैव से रखी गई समझी जाय ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 की धारा 17 (1) द्वारा निकाला गया ।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 25 (1) द्वारा निकाला गया ।

किया है और ऐसा आवेदन उक्त तारीख को लम्बित था और जहां एक संस्थान स्थित है, वह स्थान इस अधिनियम के अधीन आगरा विश्वविद्यालय के क्षेत्र से बाहर पड़ता है तो ऐसा आवेदन आगरा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ऐसे निपटाया जा सकेगा मानो वह संस्थान उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाता है और कुलाधिपति द्वारा ऐसा आवेदन मंजूर किये जाने पर वह संस्था उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जायगी जिसकी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर, जैसा कि धारा 5 में विनिर्दिष्ट है, संस्थान स्थित होगा ;

(घ) जब तक कि धारा 31 की उपधारा (5) के अधीन विशेषज्ञों का नया पैनल तैयार नहीं किया जाता तब तक, यथास्थिति, कुलाधिपति या कुलपति उस धारा के अधीन चयन समिति के विशेषज्ञों को उन पैनलों में से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व विद्यमान हों, नाम निर्दिष्ट कर सकेगा ;

¹[परन्तु यह कि उक्त उपधारा (5) के स्पष्टीकरण 1 तथा 2 के उपबन्ध इस खण्ड में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पैनल तथा इस खण्ड के अधीन ऐसे पैनलों में से किये गये नाम-निर्देशनों पर भी लागू होंगे]]

(ङ) जब तक कि किसी विश्वविद्यालय में कोई वित्त अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता तब इस अधिनियम के अधीन वित्त अधिकारी के कृत्य कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट संकाय के संकायाध्यक्षों द्वारा पालन किये जायेंगे ;

(च) जब तक कि धारा 17 के अधीन नियम नहीं बना दिये जाते तब तक कुल-सचिव, उपकुलसचिव या सहायक कुलसचिव के पद की कोई रिक्ति, कुलसचिव के पद की दशा में कुलाधिपति द्वारा और उपकुलसचिव या सहायक कुलसचिव की दशा में कुलपति द्वारा अस्थायी आधार पर भरी जा सकेगी ।

²[(छ) वाराणसी जिले में स्थित काशी नरेश गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर या गवर्नमेंट डिग्री कालेज, जखनी अथवा देहरादून जिले में स्थित गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ऋषिकेश के प्रत्येक ऐसे छात्र को, जो—

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, आगरा विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिए अध्ययन कर रहा था ; या

(2) उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिए विद्या वर्ष 1973-74 के दौरान उक्त महाविद्यालयों में से किसी महाविद्यालय के छात्र के रूप में प्रविष्ट था ; या

(3) वर्ष 1974 में, या भूतपूर्व छात्र के रूप में वर्ष 1975 में ³[अथवा वर्ष 1976 में,] उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपाधि परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो ;

आगरा विश्वविद्यालय के पाठ्य-विवरण के अनुसार अपना पाठ्य-क्रम पूरा करने की अनुज्ञा दी जाएगी और आगरा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के शिक्षण तथा उनकी परीक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया जायगा और ऐसे परीक्षाफल पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी ।

(ज) जब तक कि धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 13 (ii) द्वारा बढ़ाया गया और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1974 धारा 17 (ii) द्वारा अन्तर्विष्ट ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 13 (2) द्वारा अन्तर्विष्ट ।

विश्वविद्यालयों में संकायों का गठन न हो जाय, धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(1) प्रबन्धतंत्र का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा ;

(2) प्रबन्धतंत्र द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य ; और

(3) तीन विशेषज्ञ जो कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे]]

1[(झ) गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे आगरा विश्वविद्यालय ने काशी नरेश गवर्नमेंट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से 1974 को बी० ए० भाग 1 या एम० ए० भाग 1 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी थी और जिसे उक्त परीक्षाफल पर सफल घोषित किया गया है, उसे आगरा विश्वविद्यालय विद्या वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान काशी नरेश गवर्नमेंट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से उक्त विश्वविद्यालय की, यथास्थिति, बी० ए० भाग 2 या एम० ए० भाग 2 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा देगा, और ऐसे परीक्षाफल पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उस प्रदान की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जायगी;

(ञ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति को कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा (जिसे आगे इस खण्ड में उक्त विश्वविद्यालय कहा गया है) धारा 7 के खण्ड (5) में निर्दिष्ट परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और ऐसे परीक्षाफल पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी, यद्यपि ऐसा व्यक्ति उक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र में नहीं रहता था।]

75—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 की धारा 3 में "दो मास" शब्दों के स्थान पर "छह मास" शब्द रखे जायेंगे ।

1965 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 24 का संशोधन

76—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

1973 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 1 निरसन और ज्यावृत्तियां

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाही धारा 72 के उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन ऐसे की गयी मानी जायेगी मानो यह अधिनियम, 1973 के जून के 18वें दिन प्रारम्भ हुआ था ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1977 की धारा 25 (2) द्वारा अन्तर्विष्ट ।

**1[अनुसूची
(धारा 5 देखिये)**

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा
2[1	लखनऊ विश्वविद्यालय	[हरदोई, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और रायबरेली]
3[2	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ (एक) सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर की स्थापना होने तक	बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले ।
	(दो) सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर की स्थापना हो जाने पर	बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ जिले]
4[3	छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।	औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, और उन्नाव जिले ।
4	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर (1) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक	बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर तथा सिद्धार्थनगर जिले ।
5[5	डॉ० भीमराव 6[आंबेडकर] विश्वविद्यालय, आगरा (एक) राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना होने तक (दो) राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना हो जाने पर	आगरा, अलीगढ़ एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, काशी रामनगर, मैनपुरी और मथुरा जिले । आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी और मथुरा जिले । आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा जिले ।
7[6	डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या—	
	(एक) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक	अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुलतानपुर जिले
	(दो) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना हो जाने पर	अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी और सुलतानपुर जिले”

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 06, 2009 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 2020 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 2019 की धारा 5 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 2020 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 2019 की धारा 5 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 2023 की धारा 5 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा
1[7]	महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली—	
	(एक) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना होने तक	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), रामपुर और सम्भल जिले
	(दो) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना हो जाने पर	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर जिले”
8	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी और महोबा जिले
2[9]	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (एक) आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना होने तक	आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और मऊ जिले
	(दो) आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना हो जाने पर	गाजीपुर और जौनपुर जिले
3[10]	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी—	
	(एक) माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना होने तक	वाराणसी, चंदौली, भदोही (संत रविदास नगर), मिर्जापुर, सोनभद्र जिले;
	(दो) माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना हो जाने पर	वाराणसी, चंदौली जिले,”
4[11]	5[ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ	उर्दू, अरबी और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश]
6[12]	प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज	फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले]
7[13]	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर—	
	(एक) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक	बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर जिले

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 2023 की धारा 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 2019 की धारा 5 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 2023 की धारा 5 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, 2010 की धारा 5 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 8, 2020 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 2019 की धारा 5 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 2023 की धारा 5 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा
	(दो) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक	बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर जिले”
1[14	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया	बलिया जिला]
2[15	3[माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर	मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले
16	4[महाराज सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़]	आजमगढ़ और मऊ जिले।
5[17	4[राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।	अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज जिले]
6[18	4[माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर	बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर और श्रावस्ती जिले
19	4[माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर	मिर्जापुर, भदोही (संतरविदास नगर) सोनभद्र जिले
20	4[गुरु जम्भेश्वर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद]	अमरोहा (ज्योतिबा फूले नगर), बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल जिले

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 2016 की धारा 5 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 2019 की धारा 5 (ड) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 2021 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2024 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 2019 की धारा 5(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 2023 की धारा 5(ड) द्वारा प्रतिस्थापित।